## नियमावली नियम और विनियम तथा उपविधियाँ

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

# RULES & REGULATIONS AND BYE-LAWS



वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH, NEW DELHI

2018

### नियमावली

## नियम और विनिमय तथा उपविधियां

#### MEMORANDUM OF ASSOCIATION

#### RULES & REGULATIONS AND BYE-LAWS



वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH NEW DELHI 2018 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के नियम और विनिमय तथा उपविधियों का हिंदी पाठ अंग्रेजी के मूल पाठ पर आधारित है। किसी भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही प्रामाणिक समझा जाएगा।

Hindi version of the CSIR Rules & Regulations and Bye-laws is based on the original in English. In case of any doubt, the English version will be treated as authentic.

सी एस आई आर- राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्त्रोत संस्थान, (निस्केयर), डा. के. एस. कृष्णन् मार्ग, नई दिल्ली-110012 द्वारा मुद्रित।

Printed at CSIR- National Institute of Science Communication And Information Resources, (NISCAIR)
Dr. K. S. Krishnan Marg, New Delhi-110012

#### सोसाइटी पंजीकरण प्रमाणपत्र 1860 का इक्कीसवां अधिनियम 1941-42 का क्रमांक दस

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का आज 1860 के इक्कसीवें अधिनियम, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर से उन्नीस सौ बयालिस के मार्च मास की बारह तारीख को दिल्ली में दिया गया।

फीस रू 50.00 भुगतान की गई।

ह. संयुक्त पूंजी कंपनी पंजीयक दिल्ली

मुहर

## Certificate of Registration of Societies Act XXI of 1860 No. X of 1941-1942

Hereby certify that *The Council of Scientific and Industrial Research* has this day been registrated under the Societies Registration Act XXI of 1860.

Given under my hand at Delhi this twelfth day of March One Thousand Nine Hundred and Forty Two.

Fee Rs. 50/- paid

Sd/-Registrar of Joint Stock Companies Delhi

'Seal'

## वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय, अनुसंधान भवन, 2, रफी अहमद किदवई मार्ग, नई दिल्ली-110001

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी एस आई आर) की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/केन्द्रों की सूची

- सीएसआईआर-प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान, होशंगाबाद रोड, हबीब गंज नाका के पास, भोपाल-462 026, (मध्य प्रदेश)
- सीएसआईआर-केन्द्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान संस्थान, 196 राजा एस. सी. मिलक रोड, कोलकाता-700 032, (पश्चिम बंगाल)
- 2. सीएसआईआर-केन्द्रीय भवन अनुंसधान 9 संस्थान रूड्की-247 667, (उत्तराखंड)
- सीएसआईआर-केन्द्रीय औषधीय और सगंध पौधा संस्थान, पोस्ट आफिस, सी. आई. एम. ए. पी., कुकरैल पिकनिक स्पाट के निकट, लखनऊ-226015 (उ.प्र)
- सीएसआईआर-कोशिकीय एवं आणविक जीविवज्ञान केन्द्र, उप्पल रोड, हैदराबाद-500 007, (तेलंगाना)
- 10. सीएसआईआर-केन्द्रीय खनन एवं ईधन अनुसंधान संस्थान, बरवा रोड, धनबाद-826 015, (झारखण्ड)
- सीएसआईआर-केन्द्रीय औषिध अनुसंधान संस्थान, सैक्टर-10, जानकीपुरम एक्सटैंशन, सीतापुर रोड, लखनऊ-226 031, (उ.प्र.)
- 11. सीएसआईआर-केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, अडयार, चेन्नई-600 020 (तमिलनाडु)
- 5. सीएसआईआर-केन्द्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान कारैकुडी-630 006 (तमिलनाडु)
- 12. सीएसआईआर-केन्द्रीय यांत्रिक अभियाांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, महात्मा गांधी एवेन्यू, दुर्गापुर-713 209, (प. बंगाल)
- 6. सीएसआईआर-केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी-333 031, (राजस्थान)
- 13. सीएसआईआर-केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली-मथुरा रोड, डाकघर सीआरआरआई, नई दिल्ली-110 025
- सीएसआईआर-केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैस्र-570 020, (कर्नाटक)
- 14. सीएसआईआर-केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, सैक्टर-30-सी, चंडीगढ्-160 030

#### Council of Scientific & Industrial Research Headquarters, Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Ahmad Kidwai Marg, New Delhi-110 001.

#### List of National Laboratories/Institutes/Centres of CSIR

- CSIR-Advanced Materials and Processes Research Institute, Hoshangabad Road, Near Habibganj Naka, Bhopal-462026 (Madhya Pradesh).
- 2. CSIR-Central Building Research Institute, Roorkee- 247 667 Uttrakhand).
- 3. CSIR- Central for Cellular & Molecular Biology, Uppal Road, Hyderabad-500 007 (Telengana).
- CSIR-Central Drug Research Institute, Sec-10, Jankipuram Extn. Sitapur Road, Lucknow-226 031 (Uttar Pradesh).
- CSIR-Central Electrochemical Research Institute, Karaikudi-630 006 (Tamil Nadu).
- 6. CSIR- Central Electronics Engineering Research Institute, Pilani-333 031 (Rajasthan)
- 7. CSIR-Central Food Technological Research Institute, Mysuru- 570 020 (Karnataka).

- 8. CSIR-Central Glass & Ceramic Research Institute, 196, Raja S C Mullick Road, Kolkata - 700 032. (West Bengal).
- CSIR- Central Institute of Medicial & Aromatic
   Plants, P.O. CIMAP, Near Kukrail Picnic Spot, Lucknow- 226 015. (Uttar Pradesh).
- CSIR-Central Institute of Mining & Fuel Research, Barwa Road Dhanbad- 826 015, (Jharkhand).
- CSIR- Central Leather Research Institute, Adyar, Chennai- 600 020 (TamilNadu).
- 12. CSIR-Central Mechanical Engineering Research Institute, Mahatma Gandhi Avenue, Durgapur-713 209 (West Bengal).
- CSIR- Central Road Research Institute, Delhi-Mathura Road, P.O. CRRI, New Delhi-110 025.
- CSIR- Central Scientific Instruments Organisation Sector 30-C, Chandigarh-160 030.

- 15. सीएसआईआर-सीएसआईआर मद्रास कॉम्प्लैक्स, तरमणी, पीओ-चेन्नई-600 113 (तमिलनाडु)
- 22. सीएसआईआर-भारतीय समवेत औषध संस्थान, केनाल रोड, जम्मू-180 001 (जम्मू-कश्मीर)
- 16. सीएसआईआर-केन्द्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, गिजुभाई बधेका मार्ग, भावनगर-364 002
- 23. सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान पी.ओ. आइआइपी, मोहकमपुर, देहरादून-248 005 (उत्तराखंड)
- 17. सीएसआईआर-चौथा पैराडाइम संस्थान (पूर्व सीएसआईआर-सीमैक्स) एनएएल बेल्लूर कैम्पस, बेंगलुरू-560 037 (कर्नाटक)
- 24. सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, महात्मा गांधी मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 80, लखनऊ-226 001 (उत्तर प्रदेश)
- 18. सीएसआईआर-जीनोमिकी और समवेत जीविवज्ञान संस्थान, 1. उत्तरी पिरसर, माल रोड, दिल्ली-110007. 2. दक्षिणी पिरसर, मथुरा रोड (सुखदेव विहार डिपो), नई दिल्ली-110 020
- सीएसआईआर-खिनज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर-751 013 (ओडिशा)
- 19. सीएसआईआर-हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पोस्ट बॉक्स सं. 6, पालमपुर-176 061 (हिमाचल प्रदेश)
- 26. सीएसआईआर-सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान, सैक्टर-39-ए, चण्डीगढ़-160 036
- 20. सीएसआईआर-भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान 4, राजा एससी मिल्लक रोड, जादवपुर, कोलकाता-700 032 (पश्चिम बंगाल)
- सीएसआईआर-राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं, पोस्ट बैग सं. 1779, बेंगलुरू-560 017 (कर्नाटक)

- 21. सीएसआईआर-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, उप्पल रोड, हैदराबाद-500 007 (तेलंगाना)
- 28. सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राणा प्रताप मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 436, लखनऊ-226 001 (उत्तर प्रदेश)
- 29. सीएसआईआर-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पाषाण रोड, पुणे-411 008 (महाराष्ट्र)

- 15. CSIR-CSIR Madras Complex, Taramani P.O., Chennai-600 013 (Tamil Nadu).
- CSIR- Central Salt & Marine Chemicals Research Institute, Gijubhai Badheka Marg, Bhavnagar- 364 002 (Gujarat).
- 17. CSIR-Fourth
  Paradigm Institute
  (erstwhile CSIR-CMMACS)
  CSIR-NAL Belur Campus
  Bengaluru- 560 037.
  (Karnataka).
- CSIR- Institute of Genomics and Integrative Biology, 1, North Campus, Mall Road, Delhi-110 007
  - 2, South Campus, Mathura Road, Near Sukhdev Vihar Depot, New Delhi-110020.
- 19. CSIR- Institute of Himalayan Bioresource Technology, Post Box- No. 6, Palampur-176 061, (Himachal Pradesh).
- CSIR- Indian Institue of Chemical Biology, 4, Raja SC Mullick Road, Jadavpur, Kolkata-700 032 (West Bengal).
- 21. CSIR- Indian Institute of Chemical Technology, Uppal Road Hyderabad- 500 007 (Telengana).

- CSIR- Indian Institute of Integrative Medicine, Canal Road, Jammu-180 001 (Jammu-Kashmir).
- 23. CSIR- Indian Institute of Petroleum, P.O. IIP, Mohkampur, Dehradun- 248 005 (Uttrakhand).
- 24. CSIR- Indian Institute of Toxicology Research Mahatama Gandhi Marg, Post Box No. 80, Lucknow-226 001. (Uttar Pradesh)
- CSIR- Institute of Minerals & Materials Technology, Bhubaneswar- 751 013 (Odisha).
- 26. CSIR- Institute of Microbial Technology, Sector 39-A, Chandigarh - 160 036
- CSIR- National Aerospace Laboratories, Post Bag No. 1779, Bengaluru- 560 017 (Karnataka).
- 28. CSIR- National Botanical Research Institute, Rana Pratap Marg, Post Box No. 436, Lucknow-226001 (Uttar Pradesh).
- 29. CSIR-National Chemical Laboratory, Pashan Road, Pune-411 008 (Maharashtra)

- सीएसआईआर-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नेहरू मार्ग-नागपुर-440 020 (महाराष्ट्र)
- 35. सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान, डॉ. के. एस. कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली-110 012
- 31. सीएसआईआर-उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट-785 006, (असम)
- 36. सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, डॉ. के. एस. कृष्णन मार्ग, पूसा गेट, नई दिल्ली-110 012
- 32. सीएसआईआर-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, उप्पल रोड, हैदराबाद-500 007 (तेलंगाना)
- 37. सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर-831 007 (झारखण्ड)
- 33. सीएसआईआर-राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, औद्योगिकी एस्टेट डाकघर, पाप्पनमकोड, तिरूवनंतपुरम-695 019 (केरल)
- 38. सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, डॉ. के.एस.कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली-110 012
- 34. सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, दोना पॉल, गोवा-403 004
- 39. सीएसआईआर-संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र, सीएसआईआर परिसर, टीटीटीआई तरमणि, पोस्ट बैग सं. 8287 चेन्नै-600 113 (तिमलनाडू)

- 30. CSIR-National Environmental Engineering Research Institute, Nehru Marg, Nagpur- 440 020 (Maharashtra)
- 31. CSIR- North East Institute of Science & Technology, Jorhat-785 006 (Assam).
- 32. CSIR- National Geophysical Research Institute, Uppal Road, Hyderabad -500 007. (Telangana).
- 33. CSIR- National Institute for Interdisciplinary Science & Technology, Industrial Estate, P.O., Pappanamcode, Thiruvananthapuram-695019. (Kerala).
- 34. CSIR- National Institute of Oceanography, Dona Paula, Goa-403 004.

- 35. CSIR- National Institute of Science Communication And Information Resources, Dr. K.S Krishnan Marg, Pusa Gate, New Delhi- 110 012.
- 36. CSIR- National Institute of Science Technology and Developement Studies, Dr. K.S. Krishnan Marg, Pusa Gate, New Delhi-110012.
- 37. CSIR-National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur-831 007 (Jharkhand).
- 38. CSIR- National Physical Laboratory, Dr. K S Krishnan Marg, New Delhi- 110 012.
- 39. CSIR- Structure Engineering Research Centre, CSIR Campus, TTTI Taramani, Post Bag No. 8287 Chennai- 600 113 (Tamil Nadu).

## विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	संकल्प	1
2.	सोसाइटी की नियमावली	8
3.	नियम और विनियम	14
4.	उपविधियां	31
5.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष द्वारा परिषद् के उपाध्यक्ष को अपनी शक्तियां सौंपने संबंधी टिप्पणी	36
6.	उपविधि 18 के अंतर्गत संविदाओं और करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशकों/प्रधानों को शक्तियों का पत्यायोजन	37

#### **CONTENTS**

Page Numbers

1.	Resolution	1
2.	Memorandum of Associaton of the Society	8
3.	Rules & Regulations	14
4.	Bye-laws	31
5.	Minute of the President, CSIR delegating his Powers to the Vice-President	36
6.	Delegation of Powers to the Directors/Heads of National Laboratories/Institutes for signing Contracts and Agreements under Bye-Law 18	37

#### वाणिज्य विभाग संकल्प

नई दिल्ली, 26 सितम्बर 1942 संख्या 148, इन्ड (157)/41

- 1. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड एवं औद्योगिक अनुसंधान उपयोग सिमिति-जिसके गठन की घोषणा वाणिज्य विभाग के संकल्प सं. 148-एस व आई (1)/40 दिनांक 27 अप्रैल 1940 और 148-इन्ड/63/40 दिनांक 1 फरवरी, 1941 द्वारा की गई थी- की स्थापना के बाद, एक ऐसा निकाय गठित करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया जो कि इन दोनों संगठनों के कार्यों में समन्वय ला सके तथा सामान्य रूप से इन पर प्रशासनिक नियंत्रण रख सके। इसलिए पिछले कुछ समय से भारत सरकार इस प्रकार के निकाय की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही थी। सभी संबंधित बातों पर विचार करने के बाद, भारत सरकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वह समय आ गया है जब यह निर्णय लिया जाए कि उक्त दोनों संगठनों ने जो सफलताएं प्राप्त की हैं उनका व्यवहार में सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार किया जाए। भारत सरकार से इस बात का आग्रह किया गया कि यदि एक ऐसे संगठन की स्थापना की जा सके जो निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित कर सके, तो उसकी स्थापना भारतीय औद्योगिक अनुसंधान के लिए बड़े महत्व की होगी:
- (1) उद्योगपितयों द्वारा जो भी रकम दान में दी जाए वह पूरी की पूरी राशि औद्योगिक अनुसंधान प्रारंभ करने और उसे बढ़ावा देने में ही खर्च की जाए।
- (2) एक ऐसी सरल प्रक्रिया निर्धारित की जाए जिससे ऐसे संगठन का कार्य यथा संभव तेजी से हो सकना निश्चित हो सके।
- 2. अत्यधिक गहनता से विचार करने के बाद भारत सरकार की यह राय बनी है कि ऊपर लिखे उद्देश्यों की पूर्ति का सबसे अच्छा उपाय यह होगा कि एक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की स्थापना स्थायी आधार पर की जाए। परिषद् के कार्यों का संचालन और उसकी निधियों के प्रयोग के अधिकार परिषद् के एक ऐसे शासी निकाय को, (नीचे पैरा 5 में उल्लिखित सीमाओं के अधीन) सौंप दिए जाएं। यह निकाय परिषद के नियमों और विनियमों के अनुसार गठित किया जाएगा। यह परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का इक्कीसवां अधिनियम) के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी होगी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने तथा प्रस्तावों की व्यवहार्यता पर शासी निकाय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा शासी निकाय द्वारा उसके पास भेजे गए अन्य किसी प्रश्न पर सलाह देने के लिए परिषद् स्वयं अपने सलाहकार निकाय स्थापित करेगी। शासी निकाय में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे।
  - (1) महामिहम गवर्नर जनरल की परिषद् में वाणिज्य विभाग का प्रभारी मानवीय सदस्य (पदेन)।

## DEPARTMENT OF COMMERCE RESOLUTION

New Delhi, the 26th September, 1942 No. 148. Ind. (157)/41.

- 1. After the setting up of the Board of Scientific & Industrial Research and the Industrial Research Utilization Committee the constitution of which was announced in the Department of Commerce Resoloution Nos. 148-S & I (1)/40 dated the 27th April, 1940 and 148- Ind./63/40, dated the Ist February, 1941, the need was felt of a body that could coordinate and generally exercise administrative control over the work of the two organizations. The Government of India have had, therefore, under consideration for some time past the question of setting up such a body. Having weighed all relevent considerations, the Government of India have now come to the conclusion that the time has come to decide how best the results achieved by the two bodies could be utilised in practice. It was urged on the Government of India that it will be of great value to Indian Industrial Research if an organization were to be set up that will secure:
- (i) That donations made by industrialists are entirely devoted to intiate and promote industrial research.
- (ii) A simple procedure that will ensure the work of the organization being carried on as expeditiously as possible.
- 2. The Government of India, after having given their most careful consideration, are of opinion that the objects set out above would be best achieved by constituting a Council of Scientific and Industrial Research on a permanent footing. The actual administration of the affairs as well as the funds of the Council are to be entrusted to a Governing Body of the Council (subject to the limitations mentioned in paragraph 5 below) constituted according to the Rules & Regulations of the Council which will be a Registered Society under the Registration of Societies Act (Act XXI of 1860). The Council is to set up its own Advisory Bodies to examine proposals of Scientific and Industrial Research and to report to the Governing Body on the feasibility of the proposals and to advise on any other question referred to them by the Governing Body. The Governing Body will consist of the following:
  - (1) The Honourable Member of the Council of His Excellency the Governor General in Charge of the portfolio of Commerce (Ex-officio).

- (2) भारत सरकार के वाणिज्य विभाग का एक प्रतिनिधि, भारत सरकार द्वारा नियुक्त।
- (3) भारत सरकार के वित्त का एक प्रतिनिधि, भारत सरकार द्वारा नियुक्त।
- (4) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड द्वारा चुने गए बोर्ड के दो सदस्य।
- (5) औद्योगिक अनुसंधान उपयोग समिति के दो सदस्य, जिनका चुनाव उक्त समिति द्वारा किया जाएगा।
- (6) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान का निदेशक।
- (7) भारत सरकार द्वारा नामित एक या इससे अधिक ऐसे सदस्य, जो ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जिनका अन्यथा प्रतिनिधित्व न हो पाया हो।

महामिहम गवर्नर जनरल की परिषद् में वाणिज्य विभाग का माननीय सदस्य शासी निकाय का पदेन अध्यक्ष होगा।

प्रथम शासी निकाय में निम्नलिखित होंगे:-

#### अध्यक्ष

महामहिम गर्वनर-जनरल की परिषद् के सदस्य माननीय श्री एन.आर.सरकार।

#### सदस्य

श्री शांतिस्वरूप भटनागर, ओ. बी. ई., डी.एस.सी., एफ. इन्स्ट. पी., एफ. आई. सी, निदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, दिल्ली।

श्री गुलाम मोहम्मद, सी. आई. ई., हिज एक्जाल्टेड हाईनेस निजाम की सरकार में वित्त मंत्री, हैदराबाद (दक्षिण)।

सर बोरिओ स्टैग, सी. एस. आई., आई. सी. एस., अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त विभाग नई दिल्ली।

श्री टी. एस. पिल्ले, ओ. वी. ई., संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली। श्री जहांगीर आर.डी.टाटा, बाम्बे हाउस, 24 ब्रुश स्ट्रीट, बम्बई।

सर आरदेशिर दलाल, निदेशक, टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लिमिटेड, बम्बई। सर श्रीराम, एजेंट, दिल्ली क्लाथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड, दिल्ली।

सर अब्दुल हलीम गजनबी, सदस्य, विधान सभा (केन्द्रीय), 18, केनाल स्ट्रीट, एन्टाली, कलकत्ता।

- (2) A representative of the Commerce Department of the Government of India, appointed by the Government of India.
- (3) A representation of the Finance Department of the Government of India, appointed by the Government of India.
- (4) Two members of the Board of Scientific & Industrial Research elected by the said Board.
- (5) Two members of the Industrial Research Utilisation Committee elected by the said Committee.
- (6) The Director of Scientific and Industrial Research.
- (7) One or more members to be nominated by the Government of India to represent interests not other wise represented.

The Honourable Member of the Council of His Excellency the Governor General in Charge of the portfolio of Commerce shall be ex-officio President of the Governing Body.

The first Governing Body consists of:-

#### **PRESIDENT**

The Hon'ble Mr. N.R. Sarkar, Member of the Council of his Excellency the Governor General.

#### **MEMBER**

Sir Shanti Swarup Bhatnagar, O.B.E., D.Sc., F.Inst. P.,F.I.C., Director of Scientific and Industrial Research, Delhi.

Ghulam Mohammed, Esq., C.I.E. Finance Minister, His Exalted Highness the Nizam's Government, Hyderabad (Deccan).

Sir Borio Staig, C.S.I., I.C.S., Additional Secretary to the Government of India, Finance Department, New Delhi.

T.S. Pillay, Esq., O.B.E., Joint Secretary to the Government of India, Department of Commerce, New Delhi.

Jehangir R.D. Tata, Esq., Bombay House, 24 Bruce street, Bombay. Sir Ardeshir Dalal, Director, Tata Iron and steel Co.Ltd. Bombay. Sir Shri Ram, Agent, Delhi Cloth and General Mills Ltd., Delhi.

Sir Abdul Halim Ghaznavi, Member of the Legislative Assembly (Central), 18, Canal Street Entally, Calcutta.

सर हेनरी रिचर्डसन, प्रबंध निदेशक, मैसर्ज एन्ड्रयूल एण्ड कंपनी, कलकत्ता।

श्री कस्तूरभाई लालभाई, मैनेजिंग एजेंट, अरविंद मिल्स लिमिटेड, अशोक मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद।

डा. जे. सी. घोष., डी. एस. सी., एफ. एन. आई., निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।

डा. नजीर अहमद, ओ. बी. ई., एम. एस. सी., पी. एच. डी., निदेशक, टेक्नालॉजिकल लेबोरेटरी, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी, बंबई।

डा. एम. एन. साहा, डी. एस. सी., एफ. ऑर. एस., एफ. आर. ए. एस. वी., पिलत प्रोफेसर, भौतिकी, यूनीवर्सिटी कॉलेज आफ साइंस, 92, अपर सरकुलर रोड, कलकत्ता।

दीवान बहादुर ए. एल. मुदालियर, वी. ए., एम. डी. (मद्रास), एफ. सी. ओ. जी. (ईना)। कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास।

- 3. इस परिषद् के कार्य निम्न प्रकार होंगे:-
- (क) माननीय दीवान बहादुर सर ए. आर. मुदालियर द्वारा प्रस्तावित तथा विधान सभा द्वारा 14 नवम्बर 1941 को पारित एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्ताव को कार्यान्वित करना और उसे प्रभावशील बनाना:

यह विधानसभा सपरिषद् गवर्नर जनरल से यह सिफारिश करती है कि औद्योगिक अनुसंधान नामक एक निधि कायम की जाए जिसका उद्देश्य इस देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना हो। इस प्रयोजन के लिए बजट में इस निधि के लिए दस लाख रूपयों का वार्षिक अनुदान पांच वर्ष की अवधि तक दिए जाते रहने की व्यवस्था की जाए।

- (ख) भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, उसका मार्गदर्शन करना तथा उसमें समन्वय करना। इस कार्य में विशिष्ट अनुसंधानों का प्रवर्तन और उनके लिए आर्थिक व्यवस्था भी शामिल है;
- (ग) किन्हीं विशिष्ट उद्योगों और व्यापार के क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वर्तमान संस्थाओं के विभागों या विशेष संस्थाओं की स्थापना या विकास करना और उनकी सहायता करना;
- (घ) अनुसंधान छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां व्यवस्था कायम करना और प्रदान करना:
- (इ.) देश के उद्योगों के विकास की दिशा में परिषद् के तत्वावधान में दिए गए अनुसंधानों के परिणामों का उपयोग करना तथा इस प्रकार के अनुसंधानों में जिन्होंने योगदान किया हो उन्हें अनुसंधानों के परिणामों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली रायल्टी का एक भाग प्रदान करना:
- (च) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, संस्थान तथा संगठन स्थापित करना, उन्हें कार्यरत रखना और उनका प्रबंध करना एवं भारतीय उद्योगों के लिए संभवत: काम आ सकने वाले किसी आविष्कार या खोज का किसी प्रयोग या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करना और उसका लाभ उठाना:

Sir Henry Richardson, Managing Director, M/s. Andrew Yule and Company, Calcutta.

Kasturbhai Lalbhai, Esq., Managing Agent, Arvind Mills Ltd., Ashoka Mills Ltd., etc., Ahmedabad.

Dr. J.C. Ghosh, D.Sc., F.N.I., Director, Indian Institute of Science, Bangalore.

Dr. Nazir Ahmed, O.B.E., M.Sc., Ph.D., Director, Technological Laboratory, Indian Central Cotton Committee, Bombay.

Dr. M.N. Saha, D.Sc., F.R.S., F.R.A.S.B., Palit Professor of Physics, University College of Science, 92 Upper Circular Road, Calcutta.

Diwan Bahadur A.L. Mudaliar, B.A., M.D. (Mad.), F.C.O.G. (Eng.), Vice-Chancellor, University of Madras, Madras.

- 3. The functions of the Council will be:-
- (a) to implement and give effect to the following resolution moved by the Hon'ble Dewan Bahadur Sir A.R. Mudaliar and passed by the Legislative Assembly on the 14th November, 1941 and accepted by the Government of India:-

"This Assembly recommends to the Governor General in Council that a fund called the Industrial Research Fund be constituted, for the purpose of fostering industrial development in this country and that provision be made in the Budget for an annual grant of rupees ten lakh to the funds for a period of five years."

- (b) the promotion, guidance and co-ordination of scientific and industrial research in India including the institution and the financing of specific researchers;
- (c) the establishment of development and assistance to special institutions or departments of existing institutions for scientific study of problems affecting particular industries and trade;
- (d) the establishment and award of research studentships and fellowships;
- (e) the utilization of the results of the researchers conducted under the auspices of the Council towards the development of industries in the country and the payment of a share of royalties arising out of the development of the results of researches to those who are considered as having contributed towards the pursuits of such researches;
- (f) the establishment, maintenance and management of laboratories, workshops, institutes and organisations to further scientific and industrial

- (छ) न केवल अनुसंधान बल्कि सामान्यत: औद्योगिक मामलों से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना और उनका प्रसार करना;
- (ज) वैज्ञानिक शोध-पत्रों तथा औद्योगिक अनुसंधान और विकास संबंधी पत्रिका का प्रकाशन करना: और
- (झ) ऊपर (क) में उल्लिखत संकल्प के उद्देश्यों को सामान्यत: बढ़ावा देने के लिए अन्य कोई कार्य करना।
- 4. वर्तमान में परिषद् ने दो सलाहकार निकाय स्थापित किए हैं जिनके नाम हैं- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड और औद्योगिक अनुसंधान उपयोग सिमित। वाणिज्य विभाग के उपरोल्लिखित संकल्पों को संशोधित किए जाने के फलस्वरूप, परिषद् का सिचव ही इन सलाहकारी निकायों का पदेन सिचव होगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड और औद्योगिक अनुसंधान उपयोग सिमिति के कार्य वही होंगे जो क्रमशः संकल्प संख्या 148 एस एंड आई (1)/40 तारीख 27 अप्रैल 1940 तथा 148-इन्ड (63)/40 तारीख 1.2.1941 में दिए गए हैं। अंतर केवल इतना ही होगा कि ये निकाय अपनी सलाह भारत सरकार के स्थान पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय को देंगे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड एवं औद्योगिक अनुसंधान उपयोग सिमिति के वर्तमान सदस्यों के नाम नीचे लिखे अनुसार हैं:-

#### वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड

#### अध्यक्ष

माननीय श्री एन. आर. सरकार, सदस्य, महामहिम गवर्नर जनरल परिषद्।

#### सदस्य

डा. सर शांति स्वरूप भटनागर, ओ. बी. ई., डी. एस. सी., एफ. इन्स्ट. पी., एफ. आई.सी., निदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, दिल्ली।

श्री गुलाम मोहम्मद, सी. आई. ई., हिज् एक्जाल्टेड हाईनेस निजाम की सरकार में वित्त मंत्री, हैदराबाद (दक्षिण)।

सर आरदेशिर दलाल, निदेशक टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लिमिटेड, बंबई।

सर श्रीराम, एजेंट, दिल्ली क्लाथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड, दिल्ली।

research and to utilise and exploit for purposes of experiment or otherwise any discovery or invention likely to be of use to Indian industries;

- (g) the collection and dissemination of information in regard not only to research but to industrial matters generally;
- (h) publication of scientific papers and a journal of industrial research and development; and
- (i) any other activities to promote generally the objects of the resolution mentioned in (a) above.
- 4. The Council, has at present, set up two Advisory Bodies named the Board of Scientific & Industrial Research and Industrial Research Utilization Committee. In modification of the Commerce Department Resolutions cited above, the Secretary of the Council will be ex-officio Secretary to these Advisory Bodies. The functions of the Board of Scientific & Industrial Research and the Industrial Research Utilization Committee will be the same as set out in the Resolutions Nos. 148-S & I.(1)/40 dated the 27th April 1940 and 148-Ind. (63)/40 dated the 1st February 1941, respectively except that these bodies will tender their advice to the Governing Body of the Council of Scientific and Industrial Research instead of the Government of India. The names of the present members of the Board of Scientific and Industrial Research and the Industrial Research Utilization Committee are given below:

#### **BOARD OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH**

#### **PRESIDENT**

The Hon'ble Mr. N.R. Sarkar, Member of the Council of His Excellency the Governor General.

#### **MEMBER**

Dr. Sir Shanti Swarup Bhatnagar, O.B.E., D.Sc, F.Inst. P., F.I.C., Director of Scientific and Industrial Research, Delhi.

Ghulam Mohammad, Esq., C.I.E., Finance Minister, His Exalted Highness the Nizam's Government, Hyderabad (Deccan).

Sir Ardeshir Dalal, Director, Tata Iron & Steel Co. Ltd., Bombay. Sir Shri Ram, Agent, Delhi Cloth and General Mills Ltd., Delhi. श्री टी.एस.पिल्लै, ओ. बी. ई., संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, नर्ड दिल्ली।

श्री कस्तुरभाई लालभाई, मैनेजिंग एजेंट, अरविंद मिल्स लिमिटेड, अशोक मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद।

डा. जे. सी. घोष, डी. एस. सी., एफ. एन. आई., निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलीर।

डा. नजीर अहमद, ओ. बी. ई., एम. एस. सी., पी. एच. डी., निदेशक, टेक्नोलाजिकल लेबोरेटरी, इंडियन सेंट्रल काटन कमेटी, बंबई।

डा. एम. एन. साहा, डी. एस. सी., एफ. आर. एस., एफ. आर. ए. एस. बी., पिलत प्रोफेसर, भौतिकी, यूनिवर्सिटी कालेज आफ साइंस, कलकत्ता।

डा. जीवराज एन. मेहता, सेठ जी. एस. मेडिकल कालेज, परेल बंबई।

डा. नरेन्द्र नाथ लॉ, एम. ए., बी. एल., पी. आर. एस., पी. एच. डी., 96, एमहस्ट स्ट्रीट, कलकत्ता।

श्री पी. एफ. एस. वारेन, बी. ए. (केन्टेव), ए. एम. आई. सी. एफ., एफ. आई. ई. (इन्ड) निदेशक, जेसप एण्ड कं. लिमिटेड, 93, क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता।

डा. के. एस. कृष्णन, डी. एस. सी., एफ. आर. एस., प्रोफेसर, भौतिकी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

डा. मुजफरूद्दीन कुरेशी, बी. एस. सी. (इलाहाबाद), एम. एस. सी. (पंजाब), डी. फिल., (बर्लिन), अध्यक्ष, रसायन विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (दक्षिण)।

माननीय सर रहीमतुल्ला चिनाय, रेडियो हाउस, चौपाटी, बंबई।

डा. सर सी. रामलिंग रेड्डी, कुलपित, आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर।

श्री के. जी मुरशेद, आई. सी. एस., मुख्य नियंत्रक, खरीद (आपूर्ति)।

#### औद्योगिक अनुसंधान उपयोग समिति

#### अध्यक्ष

माननीय श्री एन. आर. सरकार, सदस्य महामहिम गवर्नर जनरल परिषद्।

#### सदस्य

श्री टी. एस. पिल्लै, ओ. बी. ई., संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली। T.S.Pillay, Esq., O.B.E, Joint Secretary to the Government of India, Department of Commerce, New Delhi.

Kasturbhai Lalbhai, Esq., Managing Agent, Arvind Mills Ltd., Ashoka Mills Ltd., Ahmedabad.

- Dr. J.C. Ghosh, D.Sc., F.N.I., Director, Indian Institute of Science, Bangalore.
- Dr. Nazir Ahmed, O.B.E., M.Sc., Ph.D., Director, Technological Laboratory, Indian Central Cotton Committee, Bombay.
- Dr. M.N. Saha, D.Sc, F.R.S., F.R.A.S.B., Palit Professor of Physics, University College of Science, Calcutta.
  - Dr. Jivraj N. Mehta, Seth G.S. Medical College, Parel, Bombay.
- Dr. Narendra Nath Law, M.A.B.L., P.R.S., Ph.D., 96, Amherest Street, Calcutta.
- P.F.S. Warren, Esq., B.A. (Cantab), A.M.I.C., F.M.I.E. (Ind.), Director, Jessop and Company Ltd., 93, Clive Street, Calcutta.
- Dr. K.S. Krishnan, D.Sc., F.R.S., Professor of Physics, Allhabad University, Allahabad.
- Dr. Muzaffaruddin Qureshi, B.Sc. (Allahabad), M.Sc. (Punjab), D.Phill. (Berlin), Head, Department of Chemistry, Osmania University, Hyderabad (Deccan).

The Hon'ble Sir Rahimotoola Chinoy, Radio House, Chowpatty, Bombay.

- Dr. Sir C. Ramalinga Reddy, Vice-Chancellor, Andhara University, Waltair
- K.G. Morshed, Esq., I.C.S.Chief Controller of Purchase (Supply).

#### INDUSTRIAL RESEARCH UTILIZATION COMMITTEE

#### **PRESIDENT**

The Hon'ble Mr. N.R. Sarkar, Member of the Coucil of His Excellency the Governor General.

#### **MEMBERS**

T.S. Pillay, Esq., O.B.E. Joint Secretary to the Government of India, Department of Commerce, New Delhi.

श्री गुलाम मोहम्मद, सी. आई. ई., हिज एक्जाल्टेड हाईनेस निजाम की सरकार में वित्त मंत्री, हैदराबाद (दक्षिण)।

डा. सर शांति स्वरूप भटनागर, ओ.बी.ई., डी.एस.सी.एफ., इन्स्ट. पी., एफ. आई.सी, निदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, दिल्ली।

सर आरदेशिर दलाल, निदेशक, टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लिमिटेड, बम्बई।

सर श्रीराम, एजेंट, दिल्ली क्लाथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड, दिल्ली।

सर अब्दुल हलीम गजनवी, एम. एल. ए. (केन्द्रीय), 18, केनाल स्ट्रीट, एन्टाली, कलकत्ता।

श्री कस्तूरभाई लालभाई, मैनेजिंग एजेंट, अरविंद मिल्स लिमिटेड, अशोक मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद।

डा. नरेन्द्रनाथ लॉ, एम. ए., बी. एल. पी. आर. एस., पी. एच. डी., 96, एमहस्ट स्ट्रीट, कलकत्ता।

श्री पी. एस. वारेन, वी. ए. (केन्टेव), ए. एम. आई. सी. ई., एम. आई. ई. (इन्ड) निदेशक, जेसप एण्ड कं. लिमिटेड, 93, क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता।

सर फ्रेडरिक स्टोन्स, ओ. बी. ई., एम. आई. सी., मार्फत मेसेर्ज ई. डी. सैसून एण्ड कं. लिमिटेड, सैसून भवन, डगहाल रोड, बंबई।

सर फ्रेडिंग्कि जैम्स, विधान सभा सदस्य (केन्द्रीय), 1 और 2 वेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली। दीवान बहादुर सी. एस. रत्नसावापित मुदालियर सी. आई. ई., लक्ष्मी निवास, अवनासी रोड, कोयम्बट्रा।

लाला पदमपत सिंहानिया, कमला टॉवर, कानपुर।

श्री जी. डी. नायडू, मार्फत, यू एस. एस. रेडियो फैक्टरी, अवनासी रोड, कोयम्बटूर। सैयद नजमुल हसन, विधानसभा सदस्य (बिहार), सुल्तान पैलेस, पटना।

सैयद अमजद अलीशाह, ओ. बी. ई., एम. ए. (पंजाब) आशियाना, लाहौर।

माननीय सर रहीमतुल्ला चिनाय, रेडियो हाऊस, चौपाटी, बंबई।

श्री जे. एल. लाहिड्ने, प्रबन्धक, बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल वर्क्स, कलकत्ता।

श्री एस. सी. मित्तर, बी. एस. सी. (इन्जी.), (लंदन), ए. एम. आई. ई. (इंन्ड.), उद्योग निदेशक, बंगाल, कलकत्ता।

डा. सर सी. रामलिंग रेड्डी, कुलपित, आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर।

5. भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि औद्योगिक अनुसंधान नामक एक निधि केन्द्रीय राजस्व के अनुदानों से स्थापित की जाये जिसकी वृद्धि समय-समय पर Ghulam Mohammed, Esq., C.I.E., Finance Minister, His Exalted Highness the Nizam's Government, Hyderabad (Deccan).

Dr. Sir Shanti Swarup Bhatngar, O.B.E. D.Sc., F. Inst. P.,F.I.C., Director of Scientific & Industrial Research, Delhi.

Sir Ardeshir Dalal, Director, Tata Iron and Steel Co., Ltd., Bombay. Sir Shri Ram, Agent, Delhi Cloth and General Mills Ltd., Delhi.

Sir Abdul Halim Gaznavi, M.L.A. (Central), 18 Canal Street, Entally, Calcutta.

Kasturbhai Lalbhai, Esq., Managing Agent, Arvind Mills Ltd., Ashoka Mills Ltd., Ahmedabad.

Dr. Narendra Nath Law, M.A.B.L.P.R.S., Ph.D., 96, Amherst Street, Calcutta.

P.S.Warren, Esq., B.A. (Cantab), A.M.I.C.E., M.I.E. (Ind.), Director, Jessop and Co. Ltd., 96, Clive Street, Calcutta.

Sir Frederick stones, O.B.E., MIC., Care of M/s. E.D. Sassoon and Co. Ltd., E.D. Sassoon Buildings, Doughall Road, Bombay.

Sir Frederick James, MLA (Central), 1 and 2, Western Court, New Delhi.

Dewan Bahadur C.S. Ratnasabapathi Mudaliar, CIE, Lakshmi Nivas, Avanasi Road, Coimbatore.

L.Padampat Singhania, Kamala Tower, Cownpore.

G.D.Naidu, Esq.,C/o U.M.S. Radio Factory, Avanasi Road,

Syed Najmul Hasan, MLA (Bihar), Sultan Palace, Patna.

Syed Amjad Ali Shah, O.B.E., M.A. (Punjab), Ashiana, Lahore.

The Hon'ble Sir Rahimotoola Chinoy, Radio House, Chowpatty, Bombay.

J.N.Lahiri, Esq., Manager, Bengal Chemical and Pharmaceutical Works, Calcutta.

S.C. Mitter, Esq., B.Sc. (Engg.), (Lond.), AMIE (Ind.), Director of Industries, Bengal, Calcutta.

Dr. Sir C. Ramalinga Reddy, Vice-Chancellor, Andhra University, Waltair.

5. The Government of India have decided that a fund, viz., the Industrial Research Fund, should be constituted by grants from the Central Revenues to which additions are to be made from time to time as moneys flow in from other sources. These "Other sources"

अन्य म्रोतों से प्राप्त होने वाली धन-राशि से होती रहे। इन अन्य म्रोतों में निम्निलिखित शामिल होंगे वे अनुदान, यदि कोई हों तो, जो प्रांतीय सरकारों, विशेष या सामान्य प्रयोजनों के लिए उद्योगपितयों द्वारा दिए जाएं, विश्वविद्यालयों या स्थानीय निकायों द्वारा दिए गए अंशदान, दान या धर्मादान, रॉयल्टी आदि। ये रकमें वे होंगी जो कि औद्योगिक अनुसंधानों के पिरणामों को विकसित करने से प्राप्त होंगी। अन्य विविध प्राप्तियां भी इसमें सिम्मिलित हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान पिरषद् को औद्योगिक अनुसंधान निध से व्यय करने की पूरी शिक्त प्राप्त होगी बशर्ते कि वह सपिरषद् गवर्नर जनरल के अनुमोदन से समय-समय पर पिरषद् के शासी निकाय द्वारा बनाई गई उपविधियों का पालन करें तथा उसके बजट का अनुमोदन सपिरषद् गवर्नर जनरल द्वारा कर दिया गया हो।

6. भारत सरकार यह आशा करती है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ भारतीय औद्योगिक विकास में रूचि रखने वाले सभी लोगों द्वारा उठाया जाएगा तथा प्रांतीय सरकारें भी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड से संपर्क बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के प्रांतीय बोर्ड स्थापित कर परिषद् के कार्य में सहायता पहुंचाएगी।

आदेश: यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की सूचना निम्नलिखित को दी जाए-सभी प्रांतीय सरकारें, सभी मुख्य आयुक्त (पंथ पिपलोदा को छोड़कर), भारत सरकार के विभिन्न विभाग (जिनमें वित्तीय सलाहकार, सैन्य वित्त तथा संचार भी शामिल हैं), सभी राजनीतिक विभाग, महामहिम वाइसराय के वैयक्तिक तथा मंत्रालय सचिव, निदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, निदेशक, सरकारी परीक्षणशाला, महालेखापरीक्षक, महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व, मुख्य नियंत्रक, पूर्ति-लेखा तथा भारत का उच्चायुक्त।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जनसामान्य की जानकारी के लिए भारतीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

> ह. टी.एस.पिल्ले संयुक्त सचिव, भारत सरकार

will comprise grants, if any, by Provinicial Governments, by industrialists for special or general purposes, contributions from Universities or local bodies, donations of benefactions, royalties, etc., recieved from the development of the results of industrial research, and miscellaneous receipts. The Council of Scientific and Industrial Research will exercise full powers in regard to the expenditure to be met out of the Industrial Research Fund subject to its observing the Byelaws framed by the Governing Body of the Council, from time to time, with the approval of the Governor General in Council and to its annual budget being approved by the Governor General in Council.

6. The Government of India express the hope that the facilities afforded by the Council of Scientific & Industrial Research will be availed by all interested in Indian Industrial development and that the provincial governments will assist the Council in its work by establising Provincial Advisory Boards of Scientific and Industrial Research to from liaison with the Board of Scientific and Industrial Research.

ORDER: Ordered that this Resoloution be communicated to all Provincial Governments, all Chief Commissioners (Except Panth Piploda), the several Departments of the Government of India (including the Financial Advisers, Military Finance and Communications), the Political Departments, the Private and Ministry Secretaries to His Excellency the Viceroy, Director of Scientific & Industrial Research, Secretary, Council of Scientific and Industrial Research, Director, Government Test House, the Auditor General Accountant General, Central Revenues, Chief Controller of Supply Accounts and the High Commissioner for India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Sd/-T.S.Pillay, Joint Secratary to the Government of India

#### वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की नियमावली

- 1. इस सोसाइटी का नाम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् होगा।
- 2. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् जिन उद्देश्य के लिए स्थापित की गई है वे उद्देश्य इस प्रकार हैं:-
  - (क) भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के माननीय सदस्य, माननीय दीवान बहादुर सर ए. रामास्वामी मुदालियर द्वारा प्रस्तावित तथा 14 नवंबर 1941 को विधान सभा द्वारा पारित एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्ताव, जो मूलरूप में नीचे दिया गया है, को कार्योन्वित करना और प्रभावी बनाना:"यह सभा परिषद् के गवर्नर जनरल से यह सिफारिश करती है कि औद्योगिक अनुसंधान नामक एक निधि कायम की जाए जिसका उद्देश्य इस देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना हो। इस प्रयोजन के लिए बजट में इस निधि के लिए दस लाख रूपयों का वार्षिक अनुदान पांच वर्ष की अवधि तक दिए जाते रहने की व्यवस्था की जाए।"
  - (ख) परिषद् का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान है, इसलिए उसकी मुख्य गतिविधियां निम्न प्रकार होंगी:
    - देश में विज्ञान और प्रोद्योगिकी की सभा योजना बनाने से संबंधित उच्च स्तरीय निकाय द्वारा, विकसित राष्ट्रीय प्राथमिकता की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं;
    - (ii) राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से संगति रखने वाली सार्वजनिक निजी क्षेत्र के उद्योगों एवं अन्यों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान और विकास-कार्य परियोजनाएं;
    - (iii) स्वदेशी प्रौद्योगिकी में निरंतर सुधार करने तथा आयातित प्रौद्योगिकी को अनुकूल बनाने एवं उनका भी विकास करने की दिशा में अनुसंधान और विकास-कार्य;
    - (iv) आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देश की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार नए प्रौद्योगिक तरीकों से संबंधित अनुसंधान तथा विकास-कार्य;
    - (v) स्थानीय संसाधनों के उपयोग पर गौर देते हुए समुचित और वैकल्पिक प्रौद्योगिक तरीकों से संबंधित अनुसंधान और विकास-कार्य;

## MEMORANDUM OF ASSOCIATION of the

#### **Council of Scientific and Industrial Research**

- 1. The name of the Society is the Council of Scientific and Industrial Research.
- 2. The objects for which the Council of Scientific and Industrial Research is established are:-
  - (a) To implement and give effect to the resolution moved by the Hon'ble Dewan Bahadur Sir A. Ramaswamy Mudaliar, Hon'ble Member of the Department of Commerce of the Government of India and passed by the Legislative Assembly on the 14<sup>th</sup> November, 1941 and accepted by the Government of India, the full text whereof is as follows:-"This Assembly recommends to the Governor General in Council that a fund called the Industrial Research Fund be constituted, for the purpose of fostering industrial development in this country and that provision be made in
  - (b) The objective of the Council being scientific and industrial/applied research of national importance, its major activities should be:

Fund for a period of the five years."

(i) Research and development projects of national priority as evolved by the high level body concerned with overall planning for science and technology in the country;

the Budget for an annual grant of rupees ten lakh to the

- (ii) research and development projects sponsored by industries in the public/ private sector and others and in consonance with national priorities;
- (iii) research and development directed towards continuous improvement of indigenous technology and adaption and development of imported technology;
- (iv) research and development of new technologies relevant to the country's social economic and industrial needs in keeping with the national objective of self-reliance;
- (v) research and development on appropriate and alternate technologies, with emphasis on the use of local resources;

- (vi) राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिक तरीकों में भावी प्रगति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में किए जा रहे औद्योगिक अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास-कार्य के लिए आवश्यक मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य;
- (vii) राष्ट्रीय भौतिक (स्थूल) मानक बनाए रखना तथा मानक संदर्भ सामग्री का एक पुस्तकालय बनाना; और
- (viii) तकनीकी सलाहकार सेवाएं प्रदान करना, जैसे सूचना, विस्तार, परामर्श तथा परीक्षण।
- (ग) विशिष्ट उद्योगों या व्यापार को प्रभावित करने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विशेष संस्थानों की स्थापना करना या वर्तमान संस्थाओं के विभागों को विकसित करना तथा उनकी सहायता करना;
- (घ) अनुसंधान अध्येतावृत्तियों को कायम करना और प्रदान करना तथा विशिष्ट अनुसंधान कराना एवं उसके लिए आर्थिक व्यवस्था करना;
- (ड़) देश में उद्योगों के विकास के लिए परिषद् के तत्वावधान में किए गए अनुसंधानों के परिणामों का उपयोग तथा अनुसंधानो के परिणामों के विकास से प्राप्त रॉयल्टी का एक भाग उन लोगों को दिलाना जिन्होंने ऐसे अनुसंधानों में अपना योगदान किया हो;
- (च) प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, संस्थानों, संग्रहालयों (जिसमें चलते-फिरते संग्राहलय भी शामिल है) और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक/अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास से संबंधित संगठनों की स्थापना करना, उन्हें बनाए रखना तथा उनका प्रबंध करना। इसी प्रकार भारतीय उद्योगों में संभवत: उपयोग में आ सकने वाले किसी आविष्कार या खोज का उपयोग करना और उनका पुरा लाभ उठाना आदि;
- (छ) केवल अनुसंधान और विकास बल्कि सामान्यत: औद्योगिक मामलों के संबंध में सूचना एकत्र करना तथा उसको प्रचारित करना;
- (ज) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास से संबंधित वैज्ञानिक शोध-पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित करना;
- (जज) विदेशी वैज्ञानिक अभिकरणों और संस्थानों से वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान, अध्ययन यात्राओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण, संयुक्त परियोजनाएं चलाने, वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना में तकनीकी सहायता तथा ऐसे अन्य मामलों में उचित व्यवस्था करना जो कि सोसाइटी के उद्देश्यों और लक्ष्यों से संगत हों:

- (vi) basic scientific research that is necessary and industrial/applied research and development in progress and from the view-point of future advances in technology in consonance with the national priorities;
- (vii) maintenance of national physical standards and a library of standard reference materials; and
- (viii) technical advisory services like information, extension, consultancy and testing.
- (c) the establishment or development and assistance to special institution or departments of existing institutions for scientific study of problems affecting particular industries and trade;
- (d) the establishment and award of research fellowship and the institution and financing of specific researches;
- (e) the utilization of the results of the researches conducted under the auspices of the Council towards the development of industries in the country and the payment of a share of royalties arising out of the development of the results of researches to those who are considered as having contributed towards the pursuits of such researches;
- (f) the establishment, maintenance and management of laboratories, workshops, institutes, museums including mobile museums and organizations to further scientific and industrial/ applied research and development and to utilize and exploit for purposes of experiment or otherwise any discovery or invention likely to be of use to Indian industries;
- (g) the collection and dissemination of information in regard not only to research and development but to industrial matters generally;
- (h) publication of scientific papers and journals devoted to scientific and industrial/applied research and development;
- (hh) to enter into arrangement with foreign scientific agencies and institutions for exchange of scientists, study tours, training in specialised areas of science and technology, conducting joint projects, providing technical assistance in the establishment of scientific institutions and for other matters consistent with the aims and objectives of the Society.

- (झ) सोसाइटी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार के तथा अन्य वचन-पत्रों (रूक्कों) विनियम पत्रों, चैंकों या अन्य पराक्राम्य प्रपत्रों को तैयार करना, स्वीकार करना, बनाना, पृष्ठांकित करना, समय पूर्व भुगतान लेना और पराक्रम्य करना;
- (झझ) सोसाइटी की सभी या किसी चल या अचल संपत्तियों के बंधक, प्रभार या आडमान या गिरवी प्रतिभूति पर या प्रतिभूति के बिना या अन्य किसी भी प्रकार से ॠण लेना और धन जुटाना;
- (ट) सोसाइटी की या उसे सौंपी गई निधि का ऐसे ॠणाधारों (सिक्योरिटीज़) में लगाना या उसे पूंजी के रूप में शासी निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य तरीकों से लगाना तथा समय-समय पर इस प्रकार किए गए निवेश को बेचना या उसका विनिमय करना:
- (ठ) सोसाइटी के लिए आवश्यक या सुविधाजनक भारत में कहीं भी स्थित किसी भूमि या भवन को खरीदना, पट्टे पर लेना, दान के रूप में स्वीकार करना या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त करना;
- (ड) सोसाइटी के लिए आवश्यक किसी भवन का निर्माण कराना या उसमें फेरबदल कराना:
- (ढ) सोसाइटी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सोसायटी की समस्त चल या अचल संपत्ति या उसके किसी भाग को बेचना, सौंपना, पट्टे पर देना, उसका विनिमय करना या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण करना;
- (ण) सोसाइटी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक ऐसा अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय स्थापित करना और उसे बनाये रखना जिसमें पढ़ने और लिखने के लिए कमरे हों तथा जिसमें पुस्तकों, समीक्षाओं, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों तथा अन्य प्रकाशनों की व्यवस्था हो;
- (त) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अस्थायी या स्थायी रूप से नियुक्त या नियोजित करना तथा सोसाइटी के लिए की गई सेवा के लिए उन्हें या अन्य व्यक्तियों को वेतन, मजदूरी, उपादन, भिवष्य निधि तथा पेंशन का भुगतान करना तथा सोसाइटी द्वारा निर्धारित करने पर ऐसे व्यक्तियों के लाभार्थ कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना व लागू करना जिसमें वार्धक्य या आवास योजनाएं (इनके अलावा भी) सम्मिलित हो सकती है; और
- (थ) ऐसे अन्य सभी कार्य करना जिसे सोसाइटी अपने उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक या लाभकारी समझे।
- 3. सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अधीन गठित शासी निकाय ही सोसाइटी की शासी निकाय होंगी। उसके प्रथम सदस्य नीचे लिखे अनुसार होंगे:-

- for the purposes of the society to draw and accept and make and endorse discount and negotiate Government of India and other promissory notes, bills of exchange, cheques or other negotiable instruments;
- to borrow and raise moneys with or without security or on the security of a mortgage, charge or on the security of hypothecation or pledge of all or any of the moveable or immoveable properties belonging to the Society or in any other manner whatsoever;
- (j) to invest the funds of, or money entrusted to, the Society upon such securities or in such manner as may from time to time be determined by the Governing Body and from time to time sell or transpose such investments;
- (k) to purchase, take on lease, accept as a gift or otherwise acquire, any land or building wherever situated in India which may be necessary or convenient for the society;
- (l) to construct or alter any building which may be necessary for the Society;
- (m) to sell, assign, mortgage, lease, exchange and otherwise transfer or dispose of all or any property, movable or immoveable, of the Society for the furtherance of the objects of the Society;
- (n) to establish and maintain a research and reference library in pursuance of the objects of the Society with reading and writing rooms and to furnish the same with books, reviews, magazines, newspapers and other publications;
- (o) to appoint, or employ, temporarily or permanently, any person and persons and to pay them, or other persons for services rendered to the society such salaries, wages, gratuities, provident funds and pensions, and to introduce and implement welfare schemes, including, but not limited to, superannuation or housing schemes, for the benefits of such persons, as the Society may in this behalf determine; and
- (p) to do all other such things as the Society may consider necessary incidental conducive to the attainment of the above subjects.
- 3. The Governing Body of the Society shall be the body constituted to be the Governing Body under the Rules and Regulations of the said Society and the first members of the said Governing Body shall be:-

	नाम	पता	व्यवसाय
1.	माननीय दीवान बहादुर सर ए. रामास्वामी मुदालियर	सचिवालय, नई दिल्ली/शिमला	महामहिम गवर्नर जनरल की परिषद् के सदस्य
2.	श्री शांति स्वरूप भटनागर, ओ. बी. ई., डी. एस. सी.,एफ. इन्सट, पी., एफ. आई. सी.	सचिवालय, नई दिल्ली	निदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान।
3.	श्री गुलाम मोहम्मद, सी. आई. ई.	सचिवालय, नई दिल्ली/शिमला	अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, आपूर्ति विभाग।
4.	श्री ए. सी. टर्नर, एम. बी .ई., आई. सी. एस.	सचिवालय, नई दिल्ली/शिमला	संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त विभाग।
5.	श्री टी. एस. पिल्लै ओ. बी. ई.	सचिवालय, नई दिल्ली/शिमला	उपसचिव, भारत सरकार, वाणिज्य विभाग।
6.	सर आरदेशिर दलाल	बाम्बे हाउस, 24, ब्रूस स्ट्रीट फोर्ट, बंबई।	निदेशक, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, बंबई।
7.	सर श्रीराम	22 कर्जन रोड, नई दिल्ली	एजेंट, दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स लिमिटेड।
8.	सर अब्दुल हलीम गज़नबी	18, केनाल स्ट्रीट एन्टाली, कलकत्ता।	सदस्य, विधान सभा (केंद्रीय)
9.	सर हेनरी रिचर्डसन एन्ड्र्यूल एण्ड कं. लिमिटेड, कलकत्ता	मार्फत मेसर्ज एन्ड्रयूल एण्ड कं. लिमिटेड, कलकत्ता।	प्रबंध निदेशक, मेसर्ज
10.	श्री कस्तूरभाई लालभाई	पंकोरे का नाका, अहमदाबाद।	मैनेजिंग एजेंट, अरविंद मिल्स लिमिटेड, अशोक मिल्स लिमिटेड, इत्यादि।
11.	डा. जे. सी. घोष, डी.एस. सी., एफ. एन. आई.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।
12.	डा. नजीर अहमद, ओ. बी. ई., एम. एस. सी., पी. एच. डी.	इंडियन सेंट्रल काटन कमेटी, माटुंगा, बंबई	निदेशक, प्रौद्योगिकी प्रयोगाशाला इंडियन सेंट्रल काटन कमेटी, बंबई।

	Name	Address	Occupation
1.	The Hon'ble Dewan Bahadur Sir A. Ramaswami Mudaliar	Secretariat, New Delhi/Simla	Member of the Council of His Excellency the Governor General
2.	Sir Shanti Swarup Bhatnagar, O.B.E., D.Sc., F.Inst. P., F.I.C.	Secretariat, New Delhi	Director of Scientific and Industrial Research
3.	Ghulam Mohammed Esq., C.I.E.	Secretariat, New Delhi/Shimla	Additional Secretary to the Government of India in the Department of Supply
4.	A.C. Turner., Esq., M.B.E., I.C.S.	Secretariat, New Delhi/Shimla	Joint Secretary to the Government of India in the finance Department
5.	T.S. Pillay, Esq., O.B.E.	Secretariat, New Delhi/Shimla	Deputy Secretary to the Government of India in Department of Commerce
6.	Sir Ardeshir Dalal	Bombay House, 24, Bruce Street, Fort, Bombay	Director, Tata Iron & Steel Co. Ltd., Bombay
7.	Sir Shri Ram	22, Curzon Road, New Delhi	Agent, Delhi Cloth and General Mills Ltd.,
8.	Sir Abdul Halim Ghaznavi	18, Canal Street, Entally, Calcutta	Member of the Legislative Assembly (Central)
9.	Sir Henry Richardson	C/o Messers. Andrew Yule & Co. Ltd., Calcutta	Managing Director, Messers. Andrew Yule & Co. Ltd., Calcutta
10.	Kasturbhai Lalbhai, Esq.	Pankore's Naka, Ahmedabad	Managing Agent, Arvind Mills Ltd., Ashoka Mills Ltd., etc.
11.	Dr. J.C. Ghosh, D.Sc., F.N.I	Indian Institute of Science, Bangalore	Director, Indian Institute of Science, Bangalore
12.	Dr. Nazir Ahmed, O.B.E., M.Sc., Ph. D. Central	Indian Central Cotton Committee Matunga,Bombay	Director, Technological Laboratory, Indian Cotton Committee, Bombay

- 4. सोसाइटी की आमदनी और संपत्ति, वह चाहे किसी भी प्रकार हुई हो, का उपयोग सोसाइटी के उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाएगा जो कि इस नियमावली में दिए गए हैं। किंतु व्यय के संबंध में उन सीमाओं का पालन किया जाएगा जो कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी। सोसाइटी की आमदनी और संपत्ति का कोई भी हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभांश, बोनस या अन्य किसी प्रकार के लाभ के रूप में ऐसे किन्हीं भी व्यक्तियों को जो कि सोसाइटी की सदस्य हों या किसी समय सदस्य रहे हों या उनमें से किसी को भी, या उनके जिए या उनमें से किसी के जिए दावा करने वाले व्यक्तियों को चुकाया या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। किंतु यहां उल्लिखित किसी भी बात से इस पर रोक नहीं होगी कि यदि सोसाइटी के लिए की गई किसी सेवा के बदले सोसाइटी के किसी सदस्य को या अन्य किसी व्यक्ति को सद्भाव के रूप में पारिश्रमिक दिया जाए।
- 5. यदि सोसाइटी अपना काम बंद कर दे (कारोबार समेट ले) या भंग हो जाए, तो सोसाइटी के कर्जों और अन्य देनदारियों के भुगतान के बाद यदि कोई संपत्ति हो तो उसे सोसाइटी के किसी सदस्य को या सदस्यों को न तो दिया जाएगा, न ही बांटा जाएगा, किंतु उसका निपटान भारत सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

- 4. The income and property of the Society, however, derived, shall be applied towards the promotion of the objects thereof as set forth in this Memorandum of Association subject nevertheless in respect of the expenditure to such limitations as the Government of Indian may from time to time impose. No portion of the income and property of the Society shall be paid or transferred, directly or indirectly by way of dividends, bonus or otherwise howsoever by way of profit, to the persons who at any time are or have been members of the Society or to any of them or to any persons claiming through them or any of them, provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith or remuneration to any member thereof or other persons in return for any service rendered to the Society.
- 5. If, on the winding up or dissolution of the Society, there shall remain, after the satisfaction of all its debts and liabilities any property whatsoever the same shall not be paid to, or distributed among the members of the Society or any of them but shall be dealt with in such manner as the Government of Indian may determine.

# वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के नियम और विनियम तथा उपविधियां

Rules & Regulations and Bye-Laws of Council of Scientific and Industrial Research

#### नियम और विनियम

## संक्षिप्त नाम

1. ये नियम और विनियम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के नियम और विनियम कहलाएंगे।

#### अर्थ-निर्वचन

- 2. इन नियमों और विनियमों में निम्नलिखित शब्दों और संक्षेपों का वही अर्थ होगा जो कि उनके सामने दिया गया है जब तक कि प्रसंग के अनुसार उस विषय में कोई विरोधी बात न हो:-
  - (1) ''सलाहकार बोर्ड'' से आशय उस निकाय से होगा जो कि नियम 57 के अधीन गठित किया गया हो।
  - (2) ''परिषद'' या सी एस आई आर शब्द से तात्पर्य वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से होगा।
  - (3) ''महानिदेशक'' से आशय भारत सरकार द्वारा नियुक्त वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक से होगा।
  - (4) ''निदेशक'' से आशय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन कार्य कर रही या उसके द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशाला या संस्थान के निदेशक से होगा।
  - (5) ''भारत सरकार'' से आशय सी एस आई आर के कार्यों से संबंध भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय से होगा।
  - (6) ''शासी निकाय'' से आशय उस निकाय से होगा जो कि नियम 29 के अधीन सोसाइटी के शासी निकाय के रूप में गठित किया गय हो।
  - (7) ''प्रबंध परिषद्'' से आशय उस निकाय से होगा जो नियम 65 के अंतर्गत गठित किया गया हो।
  - (8) "राष्ट्रीय प्रयोगशाला" से आशय उस अनुसंधान प्रयोगशाला या संस्थान या अन्य किसी वैज्ञानिक, इंजीनियरी या प्रौद्योगिक संस्थानों से होगा जो कि सोसाइटी के प्राधिकार के अधीन कार्य करे या उसके द्वारा स्थापित की जाए।
  - (9) "अध्यक्ष" से आशय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष से होगा।
  - (10) "नियम" शब्द से आशय सोसाइटी के किसी भी नियम और विनियम से है।

## **RULES AND REGULATIONS**

#### **Short Title**

1. These Rules and Regulations may be called the Rules and Regulations of the Council of Scientific and Industrial Research.

#### Interpretation

- 2. In these Rules and Regulations, the following words and abbreviations shall have the meaning given against them unless there is anything contrary in the subject of context:-
  - (i) The "Advisory Board" shall mean the body constituted under Rule 57.
  - (ii) The word "Council" of CSIR shall mean the Council of Scientific & Industrial Research.
  - (iii) The "Director General" shall mean Director General of Council of Scientific & Industrial Research appointed by the Government of India.
  - (iv) The "Director" shall mean Director of National Laboratory/ Institute or Institution established by and/or functioning under the Council.
  - (v) "Government of India" shall mean the administrative Ministry of the Government of India concerned with CSIR Affairs.
  - (vi) "Governing Body" shall mean the body which is constituted under Rule 29 as Governing Body of the Society.
  - (vii) The "Management Council" shall mean the body which is constituted as such under Rule 65.
  - (viii) The "National Laboratory" shall mean a research laboratory or institute or any other scientific, engineering or technological institution set up and/or functioning under the authority of the Society.
  - (ix) "President" shall mean President, Council of Scientific and Industrial Research.
  - (x) The word "Rule" means any of the Rules and Regulations of the Society.

- (11) ''अनुसंधान परिषद्'' से आशय नियम 62 के अंतर्गत गठित निकाय से होगा।
- (12) ''सोसाइटी'' से आशय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से है।
- (13) ''कार्यनिष्पादन मूल्यांकन बोर्ड'' से आशय नियम 60 के अंतर्गत गठित निकाय से होगा।
- (14) ''उपाध्यक्ष'' से आशय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उपाध्यक्ष से होगा।
- (15) ''वर्ष'' शब्द से आशय केलेण्डर वर्ष से होगा जब तक कि उसका वित्तीय वर्ष के रूप में विशेष उल्लेख न किया गया हो (अर्थात वित्तीय वर्ष के विशेष उल्लेख को छोड़कर)।
- (16) "वित्तिय वर्ष" से आशय 1 अप्रैल से शुरू होने वाले तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष से होगा।

## सोसाइटी की सदस्यता

- 3. सोसाइटी के निम्नलिखित सदस्य होंगे:
- (1) भारत का प्रधानमंत्री सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होगा।
- (2) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से संबंधित विभाग या मंत्रालय का प्रभारी मंत्री सोसाइटी का उपाध्यक्ष होगा।

किंतु यदि किसी समय प्रधानमंत्री ही संबंधित मंत्री भी हों तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति उपाध्यक्ष होगा।

- (3) वित्त तथा उद्योग के प्रभारी मंत्री (पदेन)।
- (4) शासी निकाय के सदस्यगण।
- (5) सलाहकार बोर्ड का चेयरमैन।
- (6) सी एस आई आर के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अन्य कोई एक व्यक्ति या अधिक व्यक्ति।
  - 4. महानिदेशक सोसाइटी का पदेन सचिव होगा।
- 5. सोसाइटी की किसी बैठक में सोसाइटी के किसी सदस्य के अनुपस्थित रहने पर अध्यक्ष सोसायटी की उस बैठक के लिए किसी एवजी की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस प्रकार के एवजी को केवल उस बैठक के लिए सोसाइटी के सदस्य के सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

- (xi) The "Research Council" shall mean the body constituted under Rule 62.
- (xii) The "Society" shall mean the Council of Scientific & Industrial Research.
- (xiii) "Performance Appraisal Board" shall mean the body constituted under Rule 60.
- (xiv) "Vice- President" shall mean Vice President, Council of Scienctific & Industrial Research.
- (xv) The word "Year" shall mean the calendar year except where it is specifically mentioned as financial year.
- (xvi) "Financial Year" shall mean the accounting year commencing from 1st April and ending on 31st March.

## Members of the Society

- 3. The Society shall consist of the following members:
- (a) The Prime Minister of India shall be the ex-officio President of the Sociey.
- (b) The Minister-in- Charge of the Ministry or Department dealing with the Council of Scientific & Industrial Research shall be the ex-officio Vice-President of the Society.

Provided that during any period when the Prime Minister is also such Minister, any person nominated in this behalf by the Prime Minister shall be the Vice-President.

- (c) Ministers Incharge of Finance and Industry (ex-officio).
- (d) The members of the Governing Body.
- (e) Chairman, Advisory Board.
- (f) Any other person or persons appointed by the President CSIR.
- 4. The Director General shall be ex-officio Secretary of the Society.
- 5. Should any member of the Society be prevented from attending a meeting of the Society, the President shall be at liberty to appoint a substitute in place of such a member at that meeting of the Society. Such substitute shall have all the rights and privileges of a member of the Society for that meeting only.

अध्यक्ष द्वारा नियुक्त सदस्य केवल उसी अवधि तक अपने पद पर रहेंगे जो कि अध्यक्ष द्वारा उनकी नियुक्ति के समय या उसके बाद किसी समय निर्धारित की जाए।

- 6. सोसायटी, सदस्यों की एक नामावली रखेगी जिसमें उनके पते तथा व्यवसाय दिये जाएंगे और प्रत्येक सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेगा।
- 7. यदि किसी सदस्य का पता बदल जाए, तो वह अपने नए पते की सूचना सिचव को देगा और नामावली की प्रविष्टि में तदानुसार परिवर्तन किया जाएगा। यदि सदस्य अपने नए पते की सूचना नहीं दे सके, तो सदस्यों की नामावली में दिया गया पता उसका पता माना जाएगा।

## नियुक्ति की अवधि

- 8. यदि कोई सदस्य अपने पद या नियुक्ति के कारण सोसाइटी का सदस्य बनता है तो उसकी सदस्यता उस समय समाप्त हो जाएण्गी जब वह उस पद पर न रहे या उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाए।
- 9. जब तक कि सोसायटी से उनकी सदस्यता नियम 9 और 10 की व्यवस्थाओं तथा नियम 5 के प्रावधानों के अधीन समाप्त नहीं कर दी जाती, अन्य सभी सदस्य सोसायटी के सदस्य बनने की तारीख से तीन वर्ष की अविध समाप्त होने पर अपनी सदस्यता त्याग देंगे किन्तु उनकी पुनर्नियुक्ति हो सकेगी। यदि तीन वर्ष की अविध के दौरान कोई स्थान आकिस्मक रूप से रिक्त हो जाए, तो उस खाली स्थान पर नियुक्त व्यक्ति नियम 5, 9 और 10 की व्यवस्थाओं के अधीन, तीन वर्ष में से बची अविध के लिए ही अपने पद पर रहेगा।
- 10. निम्नलिखित घटनाओं में से किसी घटना के होने पर सोसाइटी का सदस्य, सदस्य नहीं रह जाएगा:-
  - (क) यदि उसकी मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, या नैतिक भ्रष्टाचार से संबंधित किसी दंडनीय अपराध के कारण उसे सजा मिले।
  - (ख) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की समुचित अनुमित के बिना यदि वे सोसाइटी की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे।
- 11. अध्यक्ष सोसाइटी के पदेन सदस्यों के अितरिक्त किसी भी सदस्य या एक ही बार में सभी सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर सकता है। इस प्रकार सदस्यता की समाप्ति की दशा में खाली हुए स्थान नियमों की संबद्ध व्यवस्थाओं के अनुसार भरे जाएंगे। जिन सदस्यों की सदस्यता इस प्रकार समाप्त की जाएगी, उनकी पुनर्नियुक्ति हो सकेगी।
- 12. सदस्यता से त्यागपत्र सोसाइटी के सचिव की मार्फत व्यक्तिगत तौर पर दिया जाएगा किन्तु जब तक सोसाइटी की ओर से उसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाए तब तक वह प्रभावी नहीं होगा।

Members appointed by the President shall hold office for such period as may be prescribed by the President at the time of their appointment or at any time thereafter.

- 6. The Society shall keep a roll of members giving their addresses and occupations and every member shall sign the same.
- 7. If a member of the Society changes his address, he shall notify his new address to the Secretary and the entry in the roll will be accordingly changed; but if he fails to notify his new address, the address in the roll of members shall be deemed to be his address.

## **Duration of Apponitment**

- 8. Where a member of the Society becomes a member by reason of the office or a appoinment he holds, his membership of the society shall terminate when he ceases to hold that office or appoinment.
- 9. Unless their membership of the Society is terminated as provided in Rules 10 and 11 and subject to the provisions of Rule 5, all other members of the Society shall relinquish their membership on the expiry of three years from the date on which they became members of the Society but shall be eligible for reappointment. If a casual vacancy arises during the three years period, the person appointed in the vacancy shall, subject to the provisions of Rules 5, 10 and 11, hold office only for the unexpired period of that three year period.
- 10. A member of the Society shall cease to be a member on the happening of any of the following events:
  - (a) If he dies, resigns, becomes of unsound mind, becomes insolvent or be convicted of a criminal offence involving moral turpitued.
  - (b) If he does not attend three consecutive meetings of the Society without proper leave of the President or Vice President.
- 11. The President may terminate the membership of any member or at one and the same time the membership of all members other than ex-officio members of the Society. Upon such termination the vacancies shall be filled in accordance with the relevant provisions of the Rules. The members whose membership is so terminated shall be eligible for reappoinment.
- 12. A resignation from membership shall be tendered to the Society in person to its Secretary and shall not take effect until it has been accepted on behalf of the Society by the President or Vice-President.

- 13. नियम 10 में उल्लिखित कारणों से सोसाइटी की सदस्यता के खाली हुए स्थान को उपयुक्त नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा किंतु ऐसा स्थान तब तक नहीं भरा जाएगा जब तक कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उनमें से किसी एक के आदेश द्वारा ऐसा करने को न कहा जाए।
- 14. यदि कोई व्यक्ति अपने पद के कारण सोसाइटी का सदस्य बनने का अधिकारी हो और वह कुछ समय तक उसका सदस्य न बन सके तथा सोसाइटी में कोई स्थान नियुक्ति न हो सकने के कारण या अन्य किसी कारण से रिक्त हो तो भी सोसाइटी का काम चलता रहेगा और ऊपर लिखी किन्हीं घटनाओं के कारण या उसके किसी सदस्य की नियुक्ति में किसी कमी के कारण सोसाइटी के कोई भी कार्य या उसकी कार्रवाई अमान्य घोषित नहीं की जा सकेगी।

## सोसाइटी के कार्य

- 15. यह सोसाइटी स्वायत्त शासी संगठन होगी और इसके कार्य इस प्रकार होंगे:
- सी एस आई आर की प्रगित और कार्य-निष्पादकता की समीक्षा।
- 2. शासी निकाय को नीति-निर्देश देना।
- सी एस आई आर की वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन करना।

## सोसाइटी के अधिकारी

- 16. महानिदेशक सोसाइटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह अपनी सलाह/ सहायता के लिए अपनी आवश्यकतानुसार समय-समय पर तकनीकी ग्रुपों का गठन करेगा।
- 17. महानिदेशक के अतिरिक्त, सोसाइटी के अधिकारियों में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशक तथा ऐसे अन्य अधिकारी होंगे जिनकी नियुक्ति महानिदेशक तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशकों की सहायता के लिए तथा नियमावली में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जाए।
- 18. यदि महानिदेशक का पद अस्थायी तौर पर खाली हो या महानिदेशक अनुपस्थित हो तो उसकी अनुपस्थित में अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रयोगशाला के किसी भी निदेशक को अस्थायी तौर पर महानिदेशक नियुक्त कर सकते हैं। कार्यकारी या अस्थायी महानिदेशक इन नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत सभी या महानिदेशक को प्राप्त ऐसी कुछ शक्तियों का प्रयोग करेगा। कार्यकारी या अस्थायी महानिदेशक द्वारा इस प्रकार की शक्ति के प्रयोग पर अध्यक्ष द्वारा शर्तें और प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे।

- 13. Any vacancy in the membership of the Society caused by any of the reasons mentioned in the Rule 10 shall be filled up by appropriate appoinment provided that the vacancy shall not be filled up until moved to do so by the President or Vice Precident or under the orders of any of them.
- 14. The Society shall function notwithstanding that any person who is entitled to be a member by reason of his office is not a member of the Society for the time being and notwithstanding any other vacancy in its body whether by non-appoinment or otherwise and no act or proceeding of the Society shall be invalidated merely by reason of the happening of any of the above events or of any defect in the appoinment of any of its members.

#### **Functions of the Society**

- 15. The Society shall be autonomous organisation and its functions shall include the following:
  - (i) Review the progress and performance of CSIR.
  - (ii) Give the policy direction to Governing Body.
  - (iii) Approve the annual report and the yearly accounts of CSIR.

#### Officers of the Society

- 16. The Director-General shall be the Principal Executive Officer of the Society. He will set up technical groups to advice/assist him as may be required by him from time to time.
- 17. Apart from the Director-General, the officers of the Society shall be the Directors of the National Laboratories and such other officers as may be appointed from time to time by the authority competent to make the appointment to assist the Director-General and the Directors of National Laboratories and for carrying out the objects set forth in the Memorandum of Association.
- 18. The President may appoint a Director of a National Laboratory to act temporarily as Director-General in the absence of the Director-General, or in temporary vacancy of the office of the Director-General. An acting or temporary Director-General shall exercise all or only such powers vested in the Director-General by or under the rules as shall be sanctioned by the President. The President may impose conditions and restrictions as to the exercise of any such power by the acting or temporary Direcor-General.

## सोसाइटी का कार्यालय

19. सोसाइटी का कार्यालय भारत सरकार का मुख्यालय होगा।

## सोसाइटी की कार्यवाही

- 20. (क) अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तारीख, समय और स्थान पर सोसाइटी की बैठकें होंगी।
  - (ख) सोसाइटी की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।
  - (ग) सोसाइटी की सभी बैठकें सिचव के हस्ताक्षर से जारी सूचना द्वारा बुलाई जाएंगी।
  - (घ) सोसाइटी की बैठक बुलाने से संबंधित हर सूचना में बैठक की तारीख, समय और स्थान की सूचना दी जाएगी और बैठक के लिए निर्धारित दिन से कम से कम इक्कीस दिन पहले प्रत्येक सदस्य को यह सूचना भेज दी जाएगी।
- 21. यदि सोसाइटी की बैठक में अध्यक्ष उपस्थित न हो, तो उपाध्यक्ष बैठक के सभापित होंगे। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही उपस्थित न हों, तो अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से नियुक्त शासी निकाय का कोई भी सदस्य उस बैठक का सभापित होगा किंतु यदि उपर्युक्त तरीके से नियुक्त कोई सदस्य उपस्थित न हो या वह अध्यक्षता न करना चाहे तो सोसाइटी उपस्थित सदस्यों में से एक सदस्य को उस बैठक का सभापित चुनेगी।
- 22. यदि बैठक के सभापित का पद खाली हो, तो सभापित के चुनाव के अतिरिक्त अन्य किसी भी पद पर सोसाइटी की किसी बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।
- 23. सोसाइटी की हर बैठक में सोसाइटी के उपस्थित एक-तिहाई सदस्य कोरम गणपूर्ति के लिए पर्याप्त होंगे।
- 24. सोसाइटी की बैठकों में सभी विवादास्पद प्रश्नों का निपटारा मतदान द्वारा किया जाएगा।
  - 25. सोसाइटी के हर सदस्य का एक ही वोट (मत) होगा।
  - 26. यदि मतों की संख्या बराबर हो, तो सभापति अपना निर्णायक मत देगा।
- 27. सोसाइटी के किसी भी सदस्य को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से या सदस्यों की नामावली में दिये गये उस सदस्य के पते पर डाक द्वारा भेजी जाएगी।

## Office of the Society

19. The office of the Society shall be situated at the Headquarters of the Government of India.

#### **Proceedings of the Society**

- 20. (a) The meeting of the Society shall be held at such date, time and place as may be determined by the President.
  - (b) The Society shall meet atleast once a year.
  - (c) All meetings of the Society shall be called by notice under the hand of the Secretary.
  - (d) Every notice calling a meeting of the Society shall state the date, time and place at which such meeting will be held and shall be served upon every member of the Society not less than twenty one clear days before the day appointed for the meeting.
- 21. If the President is not present at the meeting of the Society, the Vice-President shall be chairman of the meeting. If both the President and Vice President are not present, any member of the Governing Body appointed by the President in writing shall be Chairman of the meeting, but if there shall be no member appointed as aforesaid present or willing to take the chair, the members of the Society shall choose one of the members, present to be the Chairman of the meeting.
- 22. No business shall be discussed at any meeting of the Society except the election of a Chairman whilst the Chair is vacant.
- 23. One third of members of the Society present in person shall form a quorum at every meeting of the Society.
- 24. All disputed questions at meetings of the Society shall be determined by vote.
  - 25. Each member of the Society shall have one vote.
- 26. In case of an equality of votes, the Chairman shall have a casting vote.
- 27. A notice may be served upon any member of the Society either personally or by sending it through post in an envelope addressed to such member at his address in the roll of members.

28. डाक द्वारा भेजी गई ऐसी सूचना उस दिन के बाद के दिन को भेज दी गई मानी जाएगी जिस दिन वह पत्र, लिफाफा या इनके सिहत सूचना वाला बाहरी आवरण डाक में डाला जाए। इसके प्रमाण में केवल यही सिद्ध करना काफी होगा कि इस प्रकार के नोटिस के आवरण पर ठीक तरह से पता लिखा गया था और उसे डाकखाने में डाल दिया गया था।

#### शासी निकाय

29. सोसाइटी के नियमों और विनिमयों तथा उपविधियों एवं आदेशों के अधीन सोसाइटी के कामकाज का प्रशासन, निदेशन और नियंत्रण एक शासी निकाय द्वारा किया जाएगा। सन् 1860 के इक्कीसवें अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सोसाइटी के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- (क) महानिदेशक पदेन चेयरमैन होंगे।
- (ख) वित्त सदस्य (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वित्तीय मामलों के लिए भारत सरकार का सचिव) पदेन।
- (ग) दो राष्ट्रीय प्रयोगशालों के निदेशक।
- (घ) दो प्रख्यात उद्योगपित जिनमें से एक सार्वजिनक क्षेत्र से होगा।
- (इ) तीन प्रख्यात वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद् जिनमें से एक अकादमी से होगा।
- (च) भारत सरकार के दो वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियो के प्रधान।
- (ग) से (च) तक के सदस्यों को सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा। नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

महानिदेशक शासी निकाय के लिए आवश्यकतानुसार सचिव नामित कर सकते हैं। परंतु अध्यक्ष शासी निकाय के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य या एक ही साथ सभी सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर सकता है। इस प्रकार की समाप्ति पर खाली स्थान नियमों की संगत व्यवस्थाओं के अनुसार भरे जाएंगे। इस प्रकार जिन सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएंगी वे पुनर्नियुक्त किए जा सकेंगे।

30. नियम 32 के प्रावधान के अधीन नियम 29 के परन्तुक की व्यवस्था के अनुसार यदि उनकी शासी निकाय की सदस्यता समाप्त नहीं की गई हो तो नियम 32 की व्यवस्थाओं के अधीन शासी निकाय के अन्य सभी सदस्य शासी निकाय के सदस्य बनने की तारीख से तीन वर्ष समाप्त होने पर अपनी सदस्यता त्याग देंगे किन्तु उनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकेगी। यदि तीन वर्ष की अवधि में कोई स्थान आकस्मिक रूप में रिक्त हो जाए, तो उस खाली स्थान पर नियुक्त व्यक्ति तीन वर्षों में से बची अवधि के लिए ही अपने पद पर बना रह सकेगा।

28. Any notice so served by post shall be deemed to have served on the day following that on which the letter, envelope or wrapper containing the same is posted and in proving such service it shall be sufficient to prove that the cover containing such notice was properly addressed and put into the post office.

#### The Governing Body

- 29. The affairs of the Society shall be administered, directed and controlled, subject to rules and regulations and by laws and orders of the Society, by a Governing Body. The Governing Body of the Society for the purpose of Act XXI of 1860 shall comprise of the following members:
  - (i) The Director-General who shall be the ex-officio Chairman.
  - (ii) Member Finance (Secretary to the Government of India for financial matters concerning CSIR) ex-officio.
  - (iii) Directors of two National Laboratories.
  - (iv) Two eminent Industrialists, one of whom shall be from the public Sector.
  - Three eminent Scientists/Technologists, one of whom shall be from Academia.
  - (vi) Heads of two Scientific Departments/Agencies of the Government of India.

Members at (iii) to (vi) shall be nominated by the President of the Society. Term of nominated members shall be three years.

The Director-General may, if required, nominate a Secretary to the Governing Body.

Provided that the President may terminate the membership of any member or at one and the same time of all members other than the ex-officio members of the Governing Body. Upon such termination the vacancies shall be filled in accordance with the relevant provisions of the rules. The members whose membership is so terminated shall be eligible for re-appoinment.

30. Unless their membership of the Governing Body is terminated as provided in proviso to Rule 29, and subject to the provision of Rule 32, all other members of the Governing Body shall relinquish their membership on the expiry of three years from the date on which they become members of the Governing Body but shall be eligible for re-appoinment. If a casual vacancy arises during the three year period, the person appointed in the vacancy shall hold office only for the un-expired portion of that three year period.

- 31. यदि कोई व्यक्ति अपने पद के कारण सदस्य बनने का अधिकारी हो और वह अस्थायी तौर पर शासी निकाय का सदस्य न हो तथा निकाय में अन्य कोई स्थान खाली हो तो इन स्थितियों के बावजूद भी शासी निकाय का काम चलता रहेगा और ऊपर लिखी किन्हीं घटनाओं के कारण या उसके किसी सदस्य की नियुक्ति में किसी कमी के कारण शासी निकाय का कोई भी कार्य या उसकी कार्यवाही अमान्य घोषित नहीं की जा सकेगी।
- 32. निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक के भी घटित होने पर शासी निकाय का कोई भी सदस्य इस निकाय का सदस्य नहीं रह सकेगा।
  - (क) यदि उसकी मृत्यु हो जाए, वह त्यागपत्र दे दे, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए या नैतिक भ्रष्टाचार से संबंधित किसी दंडनीय अपराध के कारण उसे सजा मिले।
  - (ख) यदि वह सभापित (चेयरमैन) की समुचित अनुमित के बिना शासी निकाय की तीन लगातार बैठकों में भाग नहीं ले।
- 33. शासी निकाय की सदस्यता के खाली स्थान को अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति या नामांकन द्वारा भरा जाएगा।

#### शासी निकाय की कार्यवाही

- 34. शासी निकाय की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता शासी निकाय के सभापित द्वारा की जाएगी। यदि वह अनुपस्थित हो तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य उस अवसर पर बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- 35. शासी निकाय किसी भी बैठक में शासी निकाय के कम से कम चार उपस्थित सदस्य कोरम (गणपतिं) के लिए पर्याप्त होंगे।
- 36. शासी निकाय ऐसे हर सदस्य को जो कि उस समय भारत में उपस्थित हो, शासी निकाय की हर बैठक की सूचना कम से कम पंद्रह दिन पूर्व दी जाएगी।
- 37. शासी निकाय की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी किन्तु वित्तीय वर्ष में उसकी कम से कम चार बैठकें तो होनी ही चाहिए।
- 38. शासी निकाय का चेयरमैन स्वयं किसी भी समय शासी निकाय की बैठक बुला सकता है या स्वयं के हस्ताक्षर वाले मांगपत्र द्वारा सोसायटी के किसी भी अधिकारी को किसी भी समय शासी निकाय की बैठक बुलाने के लिए कह सकता है।
- 39. चेयरमैन सहित शासी निकाय के हर सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होगा। शासी निकाय की बैठक में सभी मामलों का निपटारा बहुमत द्वारा किया जायेगा। शासी निकाय द्वारा निर्णीत किए जाने वाले किसी प्रश्न पर यदि मतों की संख्या बराबर हो तो चेयरमैन को अपने मत के अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। यदि शासी निकाय और महानिदेशक के बीच किसी बात पर मतभेद हो, और यदि महानिदेशक शासी निकाय के निर्णय को अमान्य करना चाहे तो शासी निकाय की बैठक की तारीख से 15 दिनों के अंदर संबंधित निर्णय सोसायटी के उपाध्यक्ष को सहमित निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

- 31. The Governing Body shall function notwithstanding that any person who is entitled to be a member by reason of his office is not a member of the Governing Body for the time being and notwithstanding any other vacancy in its body and no act or proceeding of the Governing Body shall be invalidated merely by reason of the happening of any of the above events or of any defects in the appoinment of any of its members.
- 32. A member of the Governing Body shall cease to be such member on the happening of any of the following events:-
  - (a) If he dies, resigns, becomes insolovent, becomes of unsound mind or be convicted of a criminal offence involving moral turpitude.
  - (b) If he does not attend three consecutive meetings of the Governing Body without proper leave to the Chairman.
- 33. Any vacancy in the membership of the Governing Body shall be filled up by appoinment or nomination by the President.

#### **Proceedings of Governing Body**

- 34. Every meeting of the Governing Body shall be presided over by the Chairman of the Governing Body and in his absence by a member chosen by the meeting to preside for the occasion.
- 35. Not less than four members of the Governing Body present in person shall constitute a quorum at any meeting of the Governing Body.
- 36. Not less than fifteen clear days notice of every meeting of the Governing Body shall be given to each member of the Governing Body who shall for the time being be in India.
- 37. The Governing Body shall meet as often as may be considered necessary but not less than four times in a financial year.
- 38. The Chairman of the Governing body may himself call, or by a requisition in writting signed by him may require an officer of the Society to call a meeting of the Governing Body at any time.
- 39. Each member of the Governing Body including the Chairman shall have one vote. All matters at the Governing Body meeting shall be decided by the majority view. If there will be an equality of votes on any question to be decided by the Governing Body, the Chairman shall in addition have a casting vote. Where there is a difference of opinion between the Director General and the Governing Body, and where the Director General wishes to over-rule the Governing Body, the decision shall be referred for concurence/decision of the Vice-President within fifteen days from the date of meeting of the Governing Body.

सदस्य वित्त को यह कहने का अधिकार होगा कि सौंपी गई शक्तियों में नहीं आने वाला कोई भी ऐसा वित्तीय मामला जिससे वह सहमत न हो, उपाध्यक्ष और वित्तमंत्री को भेजा जाए।

- 40. सोसाइटी के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं से संबंधित मामलों को छोड़कर शासी निकाय अन्य आवश्यक कार्य उसके सभी सदस्यों में परिचालन द्वारा भी किए जा सकेंगे। इस प्रकार परिचालित और हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदित संकल्प उसी प्रकार प्रभावी और बाध्यकारी होगा मानो वह शासी निकाय की बैठक में पास किया गया हो, बशर्ते कि उस संकल्प पर शासी निकाय के कम से कम चार सदस्यों ने अपने लिखित विचार व्यक्त किए हों।
- 41. अध्यक्ष को शासी निकाय के निर्णयों पर पुनर्विचार करने, उनमें संशोधन करने/बदलने/करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में शासी निकाय के निर्णय के एक मास के भीतर वह आवश्यक समझे गए अपने आदेशों को शासी निकाय के चेयरमैन को सूचित करेगा तथा इस प्रकार का आदेश शासी निकाय के लिए बाध्यकारी होगा। निकाय का चेयरमैन भी ऐसा कोई मामला अध्यक्ष के निर्णय के लिए भेज सकता है जो कि उसकी राय में इतना महत्वपूर्ण है कि उसे अध्यक्ष के पास भेजा जाए और इस प्रकार अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय शासी निकाय के लिए बाध्यकारी होगा।

## शासी निकाय के कार्य और शक्तियां

- 42. सामान्यत: नियमावली में उल्लिखित सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करना शासी निकाय का कर्त्तव्य होगा।
- 43. शासी निकाय सोसायटी के सभी कार्यकलाप और निधियों का प्रशासन, निदेशन तथा नियंत्रण करेगी तथा उसे सोसायटी की सभी शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकार होगा किंतु जहां तक व्यय का प्रश्न है वह भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमाओं के अधीन काम करेगा।
- 44. शासी निकाय महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशकों/प्रधानों, प्रबंध परिषदों, प्रशासन नियंत्रकों, प्रयोगशाला के परियोजना अधिकारियों या अन्य ऐसे ही अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकती है जिससे उनकी कार्यकुशलता बढ़ सके।
- 45. सोसाइटी के कार्य के संचालन और प्रबंध के लिए शासी निकाय को भारत सरकार की मंजूरी लेकर इन नियमों के अंतर्गत न होने वाली उपविधियां बनाने, उनमे संशोधन करने या उन्हें रह करने का अधिकार होगा।
- 46. शासी निकाय को यह शिक्त प्राप्त होगी कि वह सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सार्वजिनक या गैर सरकारी संगठनों या व्यक्तियों से परस्पर सहमत निबंधन एवं शर्तों पर सोसायटी के लिए अक्षय निधि, अनुदान, दान या उपहार प्राप्त करने और स्वीकार करने के लिए समझौता संपन्न करेगी परंतु ऐसे अनुदान, दान या उपहार की शर्ते, यदि कोई हो, तो सोसाइटी की प्रकृति अथवा उद्देश्यों अथवा इन नियमों के प्रावधाानों के असंगत अथवा विरूद्ध न हो।

The Member Finance shall have the right to ask that any financial matter beyond the delegated powers of Director General with which he does not agree be referred to the Vice-President and the Minister of Finance.

- 40. Any business which it may be necessary for the Governing Body to perform except, matters relating to annual report and accounts of the Society, may be carried out by circulation amongst all its members and any resolution so circulated and approved by a majority of the members signing shall be as effectual and binding as if such resolution had been passed at a meeting of the Governing Body provided that at least four members of the Governing Body have recorded their views on the resolution.
- 41. The President may review/amend/vary any of the decisions of the Governing Body and pass such orders as considered necessary to be communicated to the Chairman of the Governing Body within a month of the decision of the Governing Body and such order shall be binding on the Governing Body. The Chairman may also refer any question which in his opinion is of sufficient importance to justify such a reference for decision of the President, Which shall be binding on the Governing Body.

#### Functions & Powers of the Governing Body

- 42. It shall be the function of the Governing Body generally to carry out the object of the Society as set forth in the Memorandum of Association.
- 43. The Governing Body shall administer, direct and control the affairs and funds of the Society and shall have authority to excercise all the powers of the Society subject nevertheless in respect of expenditure to such limitations as the Government of India may from time to time impose.
- 44. The Governing Body may delegate powers to Director-General, Directors/Heads of National Laboratory, Management Councils, Controllers of Administration, Project Leaders in the Laboratory and such other officers of the Society as may be necessary for their efficient functioning.
- 45. The Governing Body shall have powers, with the sanction of the Government of India, to frame, amend or repeal bye-laws not inconsistent with these rules for the administration and management of the affairs of the Society.
- 46. The Governing Body shall have the power to enter into arrangements with the Government of India, State Government and other public or private organizations or individuals for securing and accepting endowments, grants-in-aid, donations or gifts to the Society on mutually agreed terms and conditions provided that the conditions of such grant-in-aid, donations or gifts, if any, shall not be inconsistent or in conflict with the nature or objects of the society or with the provisions of these rules.

- 47. यदि नियमावली में उल्लिखित उद्देश्यों और इन की व्यवस्थाओं से असंगत न हो तो शासी निकायों को यह अधिकार होगा कि वह सरकार या अन्य सार्वजनिक संस्थाओं या गैर सरकारी व्यक्तियों से पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, संग्रहालय, अचल संपत्ति, अक्षय निधि या अन्य निधियों, उनसे संबद्ध और वचन-बद्धता सिहत यदि पूर्वोवत उन्हें हस्तांतरित करने के लिए राजी हों, तो खरीद, उपहार या अन्य किसी प्रकार अधिग्रहित या प्राप्त कर लें।
- 48. शासी निकाय संकल्प पास करके सिमितियों, उप-सिमितियों, सलाहकार बोर्ड तथा शासी निकाय द्वारा उचित समझे जाने वाले उद्देश्यों के लिए तथा ऐसी शक्तियों वाली विशेषज्ञ नामिका की नियुक्ति कर सकती है।

#### अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की शक्तियां

- 49. निदेशक के पद पर नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाएगी जो 6 वर्ष की निश्चित अविध के लिए होगी और केवल अपवादीय मामलों में पुनर्नवीनीकृत की जा सकेगी। ऐसे सभी पदों पर, जिनकी चर्चा यहां नहीं हुई है और जिनकी परिलब्धियां निदेशक के पद से ज्यादा हैं, की नियुक्ति भी अध्यक्ष ही करेगा।
- 50. अध्यक्ष आवश्यकतानुसार अपनी शक्तियां लिखित रूप में उपाध्यक्ष या महानिदेशक को प्रत्यायोजित कर सकता है।
- 51. अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह सोसाइटी के कार्य और प्रगित की आविधक समीक्षा करे, सोसायटी के मामलों की जांच का आदेश और समीक्षा या जांच सिमितियों की सिफारिशों पर निर्णायक आदेश प्रदान करे।

#### महानिदेशक के कार्य और शक्तियां

- 52. भारत सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश की सीमा में रहते हुए सोसाइटी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में, महानिदेशक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सोसाइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मार्गदर्शन और निर्देशन में सोसायटी के कार्यों का उचित संचालन करें।
- 53. महानिदेशक के पास अपने अधीन सभी मामलों में शासी निकाय द्वारा प्रत्यायोजित शिक्तयां होंगी। वह इन शिक्तयों का उपयोग सोसाइटी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निदेशन, निरीक्षण तथा नियंत्रण और इन नियमों तथा उप-विधियों के अधीन करेगा। वह सोसायटी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्त्तव्य निर्धारित करेगा और आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षीय तथा अनुशासनात्मक नियंत्रण रखेगा। सोसायटी के सभी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधानों और अन्य क्रियाकलापों में समन्वय करना और उनका पर्यवेक्षण करना उसका दायित्व होगा। वह राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की कार्य-निष्पादकता की आविधिक समीक्षा कर सकता है लेकिन ऐसा वह संबंधित अनुसंधान परिषद् के चेयरमैन तथा कार्य-निष्पादन मुल्यांकन बोर्ड के परामर्श से करेगा।

- 47. The Governing Body shall have the power to take over and acquire by purchase, gift or otherwise, from Government and other public bodies or private individuals willing to transfer the same, libraries, laboratories, museums, collections, immovable properties, endowments or other funds together with any attendant obligations and engagements not in consistent with the object stated in the Memorandum of Association and the provision of these rules.
- 48. The Governing Body may by resoloution appoint Committees, Sub-Committees, Advisory Board and Panel of Experts for such purposes and with such powers as the Governing Body may think proper.

#### Powers of the President and Vice-President

- 49. Appoinment to the post of Director shall be made by the President which shall be for a fixed term of six years, renewable only in exceptional cases. Appoinment to the posts which are not specified herein and which carry higher emoluments than the post of Director shall also be made by the President.
- 50. The President may, in writting, delegate such of his powers as may be necessary to the Vice-President or the Director-General.
- 51. The President shall have the authority to review periodically the work and progress of the Society, to order enquiries into the affairs of the Society, and to pass orders on the recommendation of the Review/Enquiry Committee.

#### Functions and Powers of the Director-General

- 52. Subject to any order that may be passed by the Government of India the Director-General, as the Principal Executive Officer of the Society, shall be responsible for the proper administration of the affairs of the Society under the direction and guidance of the Society, President and Vice-President.
- 53. The Director-General shall in all matters under his charge, have powers delegated to him by the Governing Body. He shall exercise these powers under the direction, superintendence and control of the Society, President and Vice-President and subject to these rules and bye-laws. He shall prescribe the duties of all officers and staff of the Society and shall excercise such supervision and disciplinary control as may be necessary. It shall be his duty to coordinate and exercise general supervision over all Scientific & Industrial Researches and other activities of the Society. He may also periodically reveiw performance of National Laboratories in consultation with Chairman of Research Council concerned and Performance Appraisal Board.

## राष्ट्रीय प्रयोगशाला का निदेशक

53 क. प्रत्येक राष्ट्रीय प्रयोगशाला में एक निदेशक होगा जो प्रयोगशाला के स्टाफ का पर्यवेक्षण करेगा तथा उन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:-

- (क) राष्ट्रीय प्रयोगशाला के मिशन को प्राप्त करना।
- (ख) राष्ट्रीय प्रयोगशाला में ऐसा वातावरण तैयार करना जो प्रयोगशाला में नवा-चार तथा उच्चस्तरीय अनुसंधान व विकास और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी संबंधी अन्य क्रियाकलापों को विकसित करने में सहायक हो।
- (ग) प्रबंध परिषद् के निर्णयों के अनुसार राष्ट्रीय प्रयोगशाला के कार्यों का प्रबंध करना। निदेशक के पास सभी मामलों में शासी निकाय द्वारा प्रत्यायोजित शिक्तयां होंगी।

## सोसाइटी की निधि

- 54. सोसाइटी की निधि में निम्नलिखित सिम्मिलित होंगे:-
- (1) भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान।
- (2) अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अंशदान।
- (3) पूंजी-निवेश से आमदनी।
- (4) प्रत्याभूति सहित या उसके बिना उधार ली गई मुद्रा (धन) सहित अन्य स्त्रोतों से सोसाइटी को प्राप्ति।
- (5) सोसाइटी के चार्टर के अनुसार क्रियाकलापों को जारी रखने के लिए अन्य अभिकरणों से निधयां।

#### वित्तीय सलाह

55. शासी निकाय में एक वित्त सदस्य भी होगा जिसका नामांकन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय महत्व के ऐसे सभी मामले जो महानिदेशक की शक्तियां के बाहर हों, सलाह के लिए वित्त सदस्य को भेजे जाएंगे।

56. एक वित्तीय सलाहकार होगा जो कि सोसायटी के बजट तथा लेखाओं व आंतरिक लेखा परीक्षा का हिसाब रखने व तैयार करने और महानिदेशक को वित्तीय सलाह देने के लिए उत्तरदायी होगा। महानिदेशक को यह अधिकार होगा कि वह सलाहकार की सलाह को लिखित कारण बताकर अस्वीकार कर दे। इस प्रकार सभी मामलों की एक रिपोर्ट शासी निकाय को सूचना के लिए भेजी जाएगी।

#### Director of a National Laboratory

- 53A. In each National Laboratory, there shall be a Director who shall supervise and exercise administrative control on the staff of the Laboratory and shall be responsible for:-
  - (i) realising the mission of the National Laboratory.
  - (ii) creating an environment in the National Laboratory conducive to nurturing of innovation and high class R&D and the other S&T activities of the Laboratory;
  - (iii) Managing the affairs of the National Laboratory as per the decisions of the Management Council.Director shall in all matters have powers delegated to him by the Governing Body.

## Funds of the Society

- 54. The funds of the Society will consist of the following:-
- (i) Grants made by the Government of India.
- (ii) Contributions from other sources.
- (iii) Income from investments.
- (iv) Receipts of the Society from other sources including money borrowed with or without security.
- (v) Funds from other agencies for carrying out activities within the charter of the Society.

#### **Financial Advice**

55. There shall be Member Finance on the Governing Body nominated by the Ministry of Finance, Government of India.

Matters having financial implications which fall beyond the powers of the Director General shall be referred to Member Finance for advice.

56. There shall be a Financial Adviser, who will be responsible for rendering financial advice to the Director General including preparation of budget of the Society, Maintenance of Accounts and Internal Audit. Director General shall have the powers to over rule his advice by recording reasons therefor. A report of all cases shall be sent to the Governing Body for information.

## सलाहकार बोर्ड (एबी)

- 57. एक सलाहकार बोर्ड होगा, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-
- (क) चेयरमैन के रूप में कोई ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद्/उद्योगपित।
- (ख) महानिदेशक, सी, एस, आई, आर।
- (ग) सी एस आई आर की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के तीन निदेशक।
- (घ) पांच वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद्/उद्योगपति।
- (इ) ख्याति प्राप्त समाज-वैज्ञानिक।
- (च) भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों/ एजेंसियों के चार प्रतिनिधि। चेयरमैन तथा (ग), (घ), (ड़) व (च) के सदस्यों का नामांकन अध्यक्ष, सी एस आई आर द्वारा किया जायेगा। नामित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। महानिदेशक आवश्यतानुसार सलाहकार बोर्ड का सचिव नामित कर सकते हैं। सलाहकार बोर्ड की वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी।

## सलाहकार बोर्ड के कार्य

- 58. सलाहकार बोर्ड के कार्य निम्नवत् होंगे:
- (क) शासी निकाय को वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक निवेश प्रदान करना।
- (ख) सी एस आई आर को इसकी भावी परिकल्पना के सृजन और क्रियान्वयन में सलाह देना।
- (ग) सी एस आई आर के मुख्य अनुसंधान व विकास क्षेत्रों की समीक्षा करना।
- (घ) नए अनुसंधान व विकास, परिदृश्यों, नेटवर्क/मिशन उन्मुखी कार्यक्रमों और उनकी परस्पर प्राथमिकताएं सुझाना।
- (ड) शासी निकाय/महानिदेशक द्वारा सौंपा गया कोई अन्य मामला।

## कार्य-निष्पादन मूल्याकंन बोर्ड (पीएबी)

59. प्रत्येक राष्ट्रीय प्रयोगशाला की कार्य-निष्पादकता का मूल्यांकन महानिदेशक, सी एस आई आर द्वारा इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए गठित कार्य-निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड 5 वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा।

कार्य-निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड के सदस्य महानिदेशक, सी एस आई आर द्वारा नामित किए जाएंगे और आवश्यकता अनुसार महानिदेशक सी एस आई आर द्वारा अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है।

#### Advisory Board (A.B)

- 57. There shall be an Advisory Board, comprising the following members:-
  - (i) Eminent Scientist/Technologist/Industrialist as Chairman
  - (ii) Director-General, CSIR.
  - (iii) Three Directors of CSIR National Laboratories/Institutes
  - (iv) Five Scientists/Technologists/Industrialists
  - (v) Eminent Social Scientist
  - (vi) Four representatives of Scientific Departments/Agencies of the Government of India.

The Chairman and members at (iii), (iv), (v) and (vi) shall be nominated by the President, CSIR. The term of nominated members shall be for a period of three years.

The Secretary of Advisory Board may be nominated by the Director General, if required.

AB shall meet atleast once a year.

#### **Functions of Advisory Board**

- 58. The functions of Advisory Board shall be:-
- (i) Provide S&T inputs to the Governing Body
- (ii) Advise CSIR on creating and implementing its vision.
- (iii) Review major R&D areas of CSIR.
- (iv) Suggest new R&D perspectives, Networked/Mission oriented programmes and their *inter se* priorities.
- (v) Any other matter as may be assigned by the Governing Body/Director General.

## Performance Appraisal Board (PAB)

59. For each National Laboratory, its performance shall be assessed at least once in every five years by a Performance Appraisal Board constituted by the DG, CSIR for the specific purpose.

Members of a PAB shall be nominated by DG, CSIR and if necessary, DG, CSIR may co-opt any additional member(s).

## कार्य-निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड (पीएबी) का गठन

60 अ. सी एस आई आर की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड में निम्नलिखित होंगे:-

(क) महानिदेशक,	चेयरमैन
(ख) प्रयोगशाला के अनुसंधान परिषद् के चेयरमैन	सदस्य
(ग) सी एस आई आर की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं	सदस्य
के तीन निदेशक जिसमें से कम से कम दो	
सलाहकार बोर्ड के अन्य सदस्यों हों,	
(घ) सलाहकार बोर्ड के अन्य सदस्यों में से दो,	सदस्य
(ड़) प्रयोगशाला के लिए विशिष्ट तीन बाह्य विशेषज्ञ जिनमें	सदस्य

(ड्) प्रयोगशाला के लिए विशिष्ट तीन बाह्य विशेषज्ञ जिनमें से एक अनुसंधान परिषद् का सदस्य होगा राष्ट्रीय प्रयोगशाला का निदेशक स्थायी आमंत्रित के रूप में। कार्य-निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड के लिए सचिवालय की व्यवस्था संबंधित प्रयोगशाला द्वारा की जायेगी।

60 ब. सी एस आई आर मुख्यालय के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड में निम्निलखित होंगे:

(क) महानिदेशक	चेयरमैन
(ख) चार विशिष्ट बाह विशेषज्ञ जो मुख्यालय के महत्वपूर्ण	सदस्य
क्रियाकलापों से संबंधित क्षेत्रों से होंगे	

(ग) सी एस आई आर की दो राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों सदस्य के निदेशक

(घ) सलाहकार बोर्ड के दो सदस्य सदस्य

कार्य-निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड के लिए सचिवालय की व्यवस्था सी एस आई आर मुख्यालय द्वारा की जाएगी।

## कार्य-निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड के कार्य

- 61. (क) राष्ट्रीय प्रयोगशाला की निष्पादकता की समीक्षा व मूल्यांकन करना।
  - (ख) सलाहकार बोर्ड/शासी निकाय को समीक्षागत परिणामों की सलाह देना।
  - (ग) राष्ट्रीय प्रयोगशाला की निष्पादकता में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक उपाय विषयक सुझाव देना।
  - (घ) सलाहकार बोर्ड/शासी निकाय द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

कार्य-निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड की कार्यवाही उसके अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की जाएगी। अनुमोदित कार्यवृत्त सलाहकार बोर्ड व शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

## Constitution of Performance Appraisal Board (PAB)

60A. Performance Appraisal Board for each Natoinal Laboratory shall comprise:-

- (i) Director General Chairman
- (ii) Chairman of Research Council of the Member Laboratory
- (iii) Three Directors of CSIR National Laboratories Members atleast two from amongst the members of Advisory Board
- (iv) Two out of other members of the Advisory Members Board
- (v) Three External experts specific to a Members
  Laboratory out of which one may be member of RC

Director of the National Laboratory as permanent invitee.

The Secretariat for the PAB shall be provided by the concerned Laboratory.

- 60B. Performance Appraisal Board for CSIR Hqrs. shall comprise:-
- (i) Director General Chairman
- (ii) Four eminent external experts from the fields Members pertaining to the core functions of Headquarters
- (iii) Directors of two CSIR National Laboratories Members
- (iv) Two members of the Advisory Board Members

The Secretariat for the PAB shall be provided by the CSIR Hqrs.

#### The Functions of PAB

- 61. (i) Review and appraise the performance of the National Laboratory
  - (ii) Advise the Advisory Board/ Governing Body of the out come of the review
  - (iii) Suggest the remedial measures to improve the performance of the national laboratory.
  - (iv) Any other function as may be assigned by the Advisory Board/Governing Body.

The proceedings of the PAB shall be approved by its Chairman. The approved Minutes shall be placed before Advisory Board and Governing Body.

## अनुसंधान परिषद् (आर सी)

- 62. प्रत्येक राष्ट्रीय प्रयोगशाला की एक अनुसंधान परिषद् होगी जिसमें निम्नांकित होंगे:
  - (क) पांच बाह् विशेषज्ञ जिनमें से एक को चेयरमैन बनाया जाएगा।
  - (ख) भारत सरकार के संबंधित वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों का प्रतिनिधि।
  - (ग) उस प्रयोगशाला का निदेशक।
  - (घ) किसी सह-प्रयोगशाला का निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक।

महानिदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि स्थायी रूप से आमंत्रित होगा। अध्यक्ष सिहत (क), (ख) व (घ) सदस्यों को महानिदेशक द्वारा नामित किया जाएगा। अनुसंधान परिषद् के सिचव का नामांकन निदेशक द्वारा किया जाएगा। अनुसंधान परिषद् के सिचवालय की व्यवस्था संबंधित प्रयोगशाला द्वारा की जाएगी।

अनुसंधान परिषद् का चेयरमैन बैठक की अध्यक्षता करेगा। चेयरमैन की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित सदस्य एक सदस्य को चुनेंगे।

अनुसंधान परिषद् के लिए नामित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष को होगा। अनुसंधान परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

## अनुसंधान परिषद् के कार्यः

- 63. अनुसंधान परिषद् के कार्य होंगे:
- (क) पंचवर्षीय योजनाओं, राष्ट्रीय प्राथिमकताओं तथा अवसर वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रयोगशाला के क्रियाकलापों की भावी दिशाओं तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम तैयार करने की सलाह देना।
- (ख) परस्पर हित के कार्यक्रमों पर सी एस आई आर की अन्य राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं से नेटवर्किंग संबंधी सुझाव देना।
- (ग) अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों तथा अनुसंधान कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा भावी दिशाओं के संबंध में सलाह देना।
- (घ) प्रयोगशाला, उद्योग तथा संभाव्य ग्राहकों के बीच संबंध बढाने की सलाह देना
- (ड) वैज्ञानिक स्टाफ के चयन, योग्यता व मूल्यांकन पदोन्नित के लिए चयन सिमितियों तथा मूल्यांकन सिमितियों/पियर ग्रुपों का गठन करना।

## Research Council (R.C)

- 62. For each National Laboratory, there shall be a Research Council comprising:-
  - Five external experts, one of whom shall be designated as Chairman
  - (ii) Representative of concerned Scientific Departments/ Agencies of Government of India.
  - (iii) Director of the Laboratory
  - (iv) Director/Sr. Scientist from a sister laboratory.

Director General or his representative shall be permanent invitee.

Members at (i), (ii) and (iv) including the Chairman shall be nominated by Director General. The Secretary of the Research Council shall be nominated by the Director. The Secretariat for Research Council shall be provided by the National Laboratory.

The Chairman of RC shall preside the meeting. In the absence of the Chairman, members present shall elect a member to preside the meeting.

The term of nominated members of Research Council shall be for a period of three years. The Research Council shall meet not less than two times a year.

#### **Functions of Research Council**

- 63. The Research Council shall:-
- (i) Advice on the formulation of R&D programmes and future directions of activities of the laboratory keeping in view the Five Year Plans, national priorities and opportunity areas.
- (ii) Suggest networking with other CSIR National Laboratories on programmes of mutual interest.
- (iii) Review R&D activities and research programmes and advise on future directions.
- (iv) Advise on fostering linkages between the Laboratory, industry and potential clients.
- (v) Constitute Selection Committees and Assessment Committees/Peer Groups for selection, merit and assessment promotions of Scientific staff.

(च) महानिदेशक/शासी निकाय द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

अनुसंधान परिषद् की कार्यवाही उसके चेयरमैन द्वारा अनुमोदित की जायेगी। अनुसंधान परिषद् के चेयरमैन की अनुपस्थिति में चेयरमैन के रूप में परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य संबंधित बैठक की कार्यवाही को अनुमोदित करेगा। महानिदेशक, अनुसंधान परिषद् के किसी भी निर्णय में संशोधन कर सकता है जो उसके लिए बाध्यकारी होगा।

64. नियम 64 हटा दिया गया है।

## प्रबंध परिषद् (एम सी)

65. प्रत्येक राष्ट्रीय प्रयोगशाला की एक प्रबंध परिषद् होगी जिसका कार्य उस प्रयोगशाला के कार्यों का सोसाइटी, शासी निकाय, महानिदेशक तथा निदेशक द्वारा जारी किए गए नियमों और विनियमों, निदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत प्रबंध करना होगा। इस प्रबंध परिषद् में निम्नवत् होंगे:-

- (क) राष्ट्रीय प्रयोगशाला का निदेशक-चेयरमैन
- (ख) प्रयोगशाला के चार वैज्ञानिक जो विभिन्न आयु वर्ग के स्टाफ का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- (ग) तकनीकी कार्मिकों का एक प्रतिनिधि।
- (घ) उसी प्रयोगशाला या सह-प्रयोगशाला से निदेशक के स्तर का एक वैज्ञानिक।
- (ड्) राष्ट्रीय प्रयोगशाला के अनुसंधान योजना व्यापार विकास/योजना, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन का प्रधान।
- (च) प्रयोगशाला के वित्त एवं लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी।

की बैठक में सभी मामलों पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(छ) प्रयोगशाला के प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी-सदस्य सचिव। क्रमांक (ख) से (च) पर उल्लिखित सदस्य महानिदेशक, सी एस आई आर द्वारा नामित किए जाएंगे। नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा। प्रबंध परिषद्

अध्यक्ष सिहत प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। प्रबंध परिषद् के चेयरमैन बैठक की अध्यक्षता करेंगे तथा निदेशक कार्यालय में अस्थायी रिक्ति या बीमारी, छुटटी, विदेश में प्रतिनियुक्ति इत्यादि के कारण निदेशक के अनुपस्थित होने की दशा में प्रयोगशाला के कार्यकारी निदेशक प्रबंध परिषद् के चेयरमैन होंगे। प्रबंध परिषद् के चेयरमैन इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे तथा बैठक की कार्यवाही को भी अनुमोदन प्रदान करेंगे।

एक वित्तिय वर्ष में प्रबंध परिषद् की न्यूनतम तीन बैठक होना अनिवार्य है लेकिन प्रयोगशाला/संस्थान के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यकता अनुसार तीन से ज्यादा बार भी बैठक करवाई जा सकती है। (vi) Any other function as may be assigned by Director General/Governing Body.

The Proceedings of the Research Council shall be approved by its Chairman. In the absence of Chairman of RC, one of its members who presides the meeting as Chairman shall approve the Proceedings of the said meeting. The Director-General may amend any of the decisions of the Research Council which shall be binding.

#### 64. Deleted.

#### Management Council (MC)

- 65. There shall be a Management Council for each National Laboratory for management of affairs of the Laboratory within the framework of Rules and Regulations, directions and guidelines issued by Society, Governing Body, Director General and the Director. The Management Council shall comprise:-
  - (i) Director of the National Laboratory-Chairman
  - (ii) Four scientists of the Laboratory representing the staff of various age groups.
  - (iii) One representative of the technical personnel.
  - (iv) One Director level scientist from the same Laboratory or sister laboratory.
  - (v) Head, Research Planning Business Development/Planning, Monitoring and Evaluation of the National Laboratory.
  - (vi) Controller of Finance & Accounts/F&AO of the Lab.
  - (vii) Controller of Administration/Administrative Officer of the Laboratory as Member Secretary.

Members at (ii) to (vi) to be nominated by Director-General, CSIR. The term of the nominated members shall be for a period of two years.

All matters at the Management Council meeting shall be decided by the majority view.

Each member including the Chairman shall have one vote.

The Chairman of Management Council shall preside the meeting and in the event of temporary vacancy in the office of the Director or absence of Director on account of illness, leave, deputation abroad, etc., the Acting Director of the Laboratory shall be the Chairman of the Management Council. The Chairman of MC shall preside the meeting of the MC and also approve the Proceedings.

The Management Council shall meet as and when required for effective management of the Lab./Instt. but not less than thrice in a financial year.

## प्रबंध परिषद् के कार्य

- 66. (क) प्रयोगशाला के कार्यों व परिसर इत्यादि की देखरेख और संचालन।
  - (ख) अपूरणीय धन संबंधी हानि तथा भण्डार को सी एस आई आर द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर बट्टे खाते में डालना।
  - (ग) प्रयोगशाला/संस्थान के अनुसंधान एंव विकास क्रियाकलापों/सुविधाओं के लिए संसाधन आबंटन की संस्तुति करना।
  - (घ) प्रयोगशाला/संस्थान के अनुसंधान एवं विकास व अन्य क्रियाकलापों की प्रगति का अनुवीक्षण।
  - (ङ्) परियोजना/क्रियाकलापों के समुचित कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रमुखों को शक्तियां सौंपे जाने की सिफारिश करना।
  - (च) संविदागत अनुसंधान एवं विकास, परामर्शी परियोजनाओं तथा आईपीआर के लाइसेंसीकरण, जो निदेशक की शक्तियों में नहीं है, को अनुमोदन प्रदान करना।
  - (छ) राष्ट्रीय प्रयोगशाला के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना।
  - (ज) सभी प्रकार के तकनीकी स्टाफ के लिए चयन सिमतियों तथा मूल्यांकन सिमतियों का गठन करना।
  - (झ) महानिदेशक, सी एस आई आर द्वारा सौंपा गया अन्य कोई कार्य।
- 67. प्रबन्ध परिषद् की कार्यवाही का अनुमोदन उसके चेयरमैन द्वारा किया जाएगा। शासी निकाय या महानिदेशक प्रबंध परिषद् के प्रधान कार्यकारी अधिकारी होने के कारण इसके किसी भी निर्णय को पुनरीक्षित/संशोधित कर सकता है और आवश्यकतानुसार आदेश भी पारित कर सकता है जो प्रबंध परिषद् को मान्य होंगे।

#### लेखा और लेखापरीक्षा

- 68. लेखा और लेखापरीक्षा:
- सोसाइटी उपयुक्त लेखाओं तथा प्रासंगिक प्रलेखों का हिसाब रखेगी तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार तुलन पत्र सहित लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगी।
- सोसाइटी के लेखाओं की लेखा परीक्षा हर वर्ष नियत्रंक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी तथा सोसाइटी के इन लेखाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित व्यय का भुगतान सोसाइटी द्वारा किया जायेगा।

#### **Functions of Management Council**

- 66. (i) To administer and manage the affairs and environs of the laboratory.
  - (ii) To write off irrecoverable monetary losses and Stores within the limits prescribed by CSIR.
  - (iii) To recommend the resource allocation for R&D activities/facilities of Lab./Instt.
  - (iv) To monitor the progress of R&D and other activities of the Lab./Instt.
  - (v) To recommend devolution of powers to the Project Leaders for the proper implementation of the projects/activities.
  - (vi) To approve contract R&D, consultancy projects and licensing of IPR beyond the powers of Director.
  - (vii) To consider the annual report of the National Laboratory.
  - (viii) To constitute selection committees and assessment committees for all Technical staff.
  - (ix) Any other matter, as may be referred by the Director-General.
- 67. The proceedings of the Management Council shall be approved by its Chairman. The Governing Body or Director-General as its Principal Executive Officer may review/amend any of the decisions of the Management Council, and pass such orders as considered necessary, which shall be binding on the Management Council.

#### **Accounts & Audit**

- 68. Accounts and Audit.
- (i) The Society shall maintain proper accounts and other releventrecords and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet in such form as may be prescribed by the Central Government in consulation with Comptroller & Audior-General of India.
- (ii) The accounts of the Society shall be audited annually by the Comptroller & Auditor-General and any expenditure incurred in connection with the audit of accounts of the Society shall be payble by the Society.
- (iii) The Comptroller & Auditor-General shall have the same rights, privileges and authorities in connection with the audit of

(3) सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक तथ महालेखा परीक्षक को वही अधिकार, विशेषधिकार तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे जो उसे सरकारी लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में प्राप्त होते हैं तथा विशेषकर उसे किताबों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों तथा अन्य प्रलेखों व कागजों को प्रस्तुत करने की मांग तथा सोसाइटी के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

## वार्षिक प्रतिवेदन

69. शासी निकाय सोसाइटी की कार्यवाही तथा वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा किए गए कार्यों का एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी। वार्षिक प्रतिवेदन का ड्राफ्ट (मसौदा) तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित सोसाइटी के वार्षिक लेखाओं व उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित सोसाइटी के विचारार्थ तथा अनुमोदन के लिए सोसाइटी के समक्ष रखा जायेगा। सोसाइटी द्वारा अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं की प्रतियां भारत सरकार के पास भी भेजी जाएंगी जिन्हें वह संसद के समक्ष रखेगी।

## आन्तरिक लेखापरीक्षा

70. महानिदेशक अपने सीधे नियंत्रण में सी एस आई आर में एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा सिस्टम की स्थापना करेंगे। प्रयोगशाला स्तर पर एक आन्तरिक लेखापरीक्षा अधिकारी होगा जो सी एस आई आर मुख्यालय के मुख्य आन्तरिक लेखापरीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

## सोसाइटी के उद्देश्य में फेरबदल या उसका विस्तार और नियमों में फेरबदल

- 71. यदि सोसाइटी पहले से भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर ले तो वह इन उद्देश्यों में फेरबदल कर सकती है या उनका क्षेत्र विस्तृत कर सकती है जिनके लिए उसकी स्थापना की गई है:
  - (क) यदि शासी निकाय इस प्रकार के पूर्वोक्त फेरबदल या विस्तार का प्रस्ताव सोसाइटी के सदस्यों के समक्ष किसी लिखित या मुद्रित के रूप में रखें;
  - (ख) यदि उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार के लिए सोसाइटी नियमों और विनियमों के अनुसार अपने सदस्यों की विशेष साधारण बैठक बुलाये;
  - (ग) पूर्वोक्त विशेष साधारण सभा में 14 स्पष्ट दिन पूर्व इस प्रकार की रिपोर्ट सोसाइटी के हर सदस्य को दे दी जाए या डाक से भेज दी जाए.

accounts of the Society as the Comptroller & Auditor-General has in connection with the audit of Government Accounts and in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Society.

#### **Annual Report**

69. An Annual Report of the proceedings of the Society of all work undertaken during the Financial Year shall be prepared by the Governing Body. A draft of the Annual Report and the yearly accounts of the Society as certified by Comptroller and Auditor General of India together with the Audit Report thereon, shall be placed before the Society together with the audit report thereon for its condsideration and approval. Copies of the Annual Report and yearly accounts as aproved by the Society shall be forwarded to the Government of India who shall cause the same to be laid before the parliament.

#### **Internal Audit**

70. The Director General shall set up an independent audit system in CSIR directly under his control. There shall be an Internal Audit Officer at the laboratory level who will report to the Chief Internal Audit Officer at CSIR Hqrs.

# Alteration or extension of the purpose of the Society and alteration of Rules

- 71. Subject to the approval of the Government of India previously obtained the Society may alter or extend the purposes for which it is established:-
  - (a) If the Governing Body shall submit the proposition for such alteration or extension as aforesaid to the members of the Society in a written or printed report;
  - (b) If the Governing Body may cause to convence a special general meeting of the members of the Society, according to the rules and regulations, for the consideration of the said proposition;
  - (c) If such report be delivered or sent by post to every member of the Society 14 clear days previous to such general meeting as aforesaid;

- (घ) उपर्युक्त साधारण सभा में यदि सोसाइटी के सदस्य स्वयं प्रस्ताव से सहमित व्यक्त करने की लिखित स्वीकृति दें और उसे सोसाइटी की 3/5 संख्या द्वारा मत देकर स्वीकार करें।
- (च) पहली औपचारिक बैठक के बाद एक माह के अंतर से शासी निकाय द्वारा बुलाई गई दूसरी विशेष साधारण सभा में सोसायटी के उपस्थित सदस्यों की 3/5 संख्या द्वारा मतदान करने पर ऐसे प्रस्ताव की पुष्टि हो जाए।

72. सोसाइटी के नियमों और विनियमों और उनमें से किसी प्रकार का संशोधन कर उन्हें लागू करने से पहले भारत सरकार की मंजूरी ली जाएगी। पूर्वोक्त नियमों और विनियमों में, नियम 71 को छोड़कर प्रसंगानुसार सोसाइटी की किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास कर और भारत सरकार की मंजूरी लेकर किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है।

30

- (d) If such proposition be agreed to by the votes of three-fifth of the members of the Society deliverd in person at such general meetings as aforesaid; and
- (e) If such proposition be confirmed by the votes of three-fifth of the members of Society present at the second special general meeting convenced by the Governing Body at an interval of one month after the former meeting.

72. The sanction of the Government of India shall be obtained before the rules and regulations of the Society and any amendment to them are brought into force. The said rules and regulations save and except the rule 71 may be altered at any time with the sanction of Government of India by a Resoloution passed by a majority of the members of the Society present at any meeting of the Society which shall have been duly convenced for the purpose.

# वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी निकाय द्वारा बनाई गई वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की उप-विधियां

# बजट अनुमान-विनियोजन तथा पुनर्विनियोजन

1. सोसाइटी के बजट आकलनों को तैयार करना, निधयों तथा अन्य संबंधित मामलों का विनियोजन, पुनर्विनियोजन इस संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों को ध्यान में रखते हुए सी एस आई आर की शासी निकाय द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार संचालित होंगे।

# व्यय की मंजूरी

- 2. सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना सोसाइटी की निधियों से कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा।
- 3. भारत सरकार के सचिव को प्राप्त शिक्तियों के अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो सी एस आई आर की शासी निकाय सी एस आई आर के महानिदेशक को अन्य शिक्तियां प्रज्यायोजित कर सकती हैं। भारत सरकार के वित्तीय अधिकार के प्रत्यायोजिन संबंधी नियमों में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन महानिदेशक कार्यात्मक स्वायतत्ता के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशकों, प्रशासन नियत्रकों, परियोजना लीडरों, बेंच स्तरीय वैज्ञानिकों और सोसाइटी के अन्य अधिकारियों को अपनी शिक्तियां/अधिकार प्रत्यायोजित कर सकता है।

# सोसाइटी की ओर से संविदाएं तथा मुकदमेबाजी

- 4. सभी संविदाएं महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत सोसाइटी के किसी अधिकारी या अधिकारियों द्वारा सोसायटी की ओर से निष्पादित की जायेंगी और उन पर इस कार्य के लिए महानिदेशक द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे। सभी संविदाओं का रूप तथा सार महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी /अधीकारयों द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
- 5. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत संयुक्त संचिव (प्रशा.) या किसी अन्य अधिकारी को सोसाइटी की ओर से मुदकमा तथा अन्य कार्यवाही दायर करने तथा लड़ने का अधिकार होगा तथा सोसाइटी से संबंधित किसी विवाद पर समझौता करने, निपटाने या मध्यस्थ के पास भेजने का अधिकार प्राप्त होगा। महानिदेशक सोसाइटी की ओर से मध्यस्थ सहित किसी भी न्यायालय में दायर किए जाने वाले सभी प्रलेखों/याचिकाओं/आवेदनों तथा मुख्तारनामा व पैरवी पर हस्ताक्षर करने के लिए सोसाइटी के किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है।

# BYE-LAWS OF COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH FRAMED BY ITS GOVERNING BODY

### **Budget Estimates Appropriation & Re-appropriation**

1. Preparation of budget estimates of the Society, appropriation, reappropriation of funds and other related matters shall be regulated in accordance with the scheme formulated by the Governing Body, CSIR keeping in view the instructions issued by the Government of India from time to time in this regard.

### **Expenditure Sanction**

- 2. No expenditure from the funds of the Society shall be incured without the sanction of the competent authority.
- 3. The Governing Body, CSIR may delegate powers to Director-General, CSIR, as are considered necessary, in addition to those exercised by a Secretary to the Government of India. The Director-General may subject to such restrictions as are contained in the Delegation of Financial Power Rules of Government of India, delegate his powers to the Directors of National Laboratories, Controllers of Administration, Project Leaders, Bench level Scientists and other officers of the Society for the purpose of functional autonomy.

### Contracts on behalf of Society & Litigation

- 4. All contracts shall be executed on behalf of the Society by an officer or officers of the Society as authorised by the Director-General and counter signed by such officer or officers as may be appointed by the Director-General for the purpose. The form and substance of all contracts shall be approved by officer(s) authorised by Director-General.
- 5. The Joint Secretary (Admn.) or any other officer authorised by Director-General shall have the power to file and defend suits and other proceedings on behalf of the Society and shall have the power to compromise, settle or refer to arbitration any dispute relating to the Society. The Director-General may authorise an officer of the Society to sign Power of Attorney, pleading and all other documents/petitions/applications to be filed in any court including an Arbitrator, on behalf of the Society.

### निर्देश

- 6. सोसाइटी की निधियों का निवेश केवल भारत सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से ही किया जा सकता है।
- 7. सोसाइटी की निधियों के सभी निवेश सोसाइटी के नाम से किए जाएंगे। सभी खरीद, बिक्री या ऐसे निवेशों में फेरबदल महानिदेशक के प्राधिकार से अमल में लाया जाएगा तथा सभी संविदाएं, ट्रांसफर डीड्स या सोसाइटी निधियों के निवेशों को खरीदने, बेचने या बदलने के लिए आवश्यक आय प्रलेखों को महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जायेगा। मूल दस्तावेजों/प्रतिभृतियों की निरापद अभिरक्षा ऐसे अधिकारी के व्यक्तिगत चार्ज में रहेगी जिसे इस उद्देश्य के लिए महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा तथा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए प्रतिभृति रिजस्टरों के साथ 6 महीने में एक बार सत्यापित किया जाएगा तथा सत्यापन का प्रमाण-पत्र सोसायटी के अधिकारी द्वारा रिजस्टर में रिकार्ड किया जाएगा।

### निधियों का आहरण

8. बैंक से निधियों का आहरण केवल चैक द्वारा ही किया जाएगा जिस पर ऐसे अधिकारियों के हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर होंगे जिन्हें महानिदेशक द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

### लेखाओं का रखरखाव तथा लेखापरीक्षा

9. भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श से महानिदेशक एक हैण्ड बुक तैयार करने के लिए कह सकता है जिसमें सोसाइटी के लेखाओं का रखरखाव, आन्तरिक लेखापरीक्षा सिस्टम एवं नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा सोसाइटी में रखा जाना तथा उन्हें संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने की व्यवस्था होगी।

### अनुसंधान व प्रबंध परिषद्

10. नियम 62 तथा 65 के अनुसार अनुसंधान परिषद् तथा प्रबंध परिषद् का गठन प्रत्येक राष्ट्रीय परिषद् प्रयोगशाला के लिए किया जाएगा।

शासी निकाय अपनी बैठकों तथा कार्य संचालन के संबंध में अपनी शक्तियों, कार्यों तथा विस्तृत प्रक्रियाओं का निर्धारण करेगा।

### **Investments**

- 6. The funds of the Society may be invested only in such manner as may be prescribed by the Government of India.
- 7. All investments of the funds of the Society shall be made in the name of the Society. All purchases, sales or alterations of such investments shall be effected on the authority of the Director-General and all contracts, transfer deeds or other documents necessary for purchasing, selling or altering the investments of the Society funds shall be executed by an officer authorised by the Director-General. The safe custody of the scripts/securities will remain in the personal charge of an officer of an Society authorised by the Director-General for the purpose and will be verified once in six months with the Register of Securities maintained for the purpose and a certificate of verification will be recorded by the officer of the Society in the Register.

### **Drawing of Funds**

8. Funds will not be drawn from the Bank except on a cheque signed and countersigned by such officers as may be duly empowered in this behalf by Director-General.

### Maintenance of Accounts & their Audit

9. The Director-General, in consulation with the Comptroller & Auditor General of India may cause a Hand Book to be prepared which may provide for maintenance of accounts of the Society, System of Internal Audit, Audit of accounts by the Comptroller and Auditor General, their presentation to the Society and placing the same on the table of both the Houses of Parliament.

### Research & Management Council

10. Research Council and Management Council shall be constituted for each National Laboratory as laid down in rule 62 & 65.

The Governing Body shall lay down their powers, functions and detailed procedure with regard to their meetings and conduct of business.

### स्टाफ की भर्ती तथा पदोन्नति

11. सोसाइटी के सभी वर्ग के कर्मचारियों (स्टाफ) के लिए मूल्याकंन तथा योग्यता पदौन्नित सिंहत भर्ती तथा पदौन्नित के संबंध में सी एस आई आर की शासी निकाय द्वारा बनाई गई विस्तृत योजनाओं के अनुसार ही की जाएगी।

## सोसाइटी के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

- 12. वर्तमान में लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली और केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली इस सोसायटी के अधिकारियों और स्थापना पर भी निम्नलिखित संशोधनों के साथ लागू होगी:
  - (क) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली में जहां ''राष्ट्रपित'' और ''सरकारी कर्मचारी'' का संदर्भ आया है वहां क्रमशः ''सोसाइटी के अध्यक्ष'' और ''सोसाइटी की सेवा के अधिकारियों और स्थापना'' अर्थ ग्रहण किया जाएगा, और
  - (ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली में जहां ''सरकार'' और ''सरकारी कर्मचारियों'' का संदर्भ आया है वहां क्रमश: ''सोसाइटी'' और ''सोसाइटी सेवा के अधिकारियों और स्थापना'' अर्थ ग्रहण किया जाएगा।''
- 13. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली के अधीन सोसाइटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महानिदेशक तथा अन्य किसी अधिकारी के नाम से जारी किए गए आदेशों का प्रमाणीकरण महानिदेशक द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा।
- 14. सोसाइटी की सेवा के कर्मचारियों के वेतनमान भारत सरकार के इसी प्रकार के कार्मिकों के लिए निर्धारित वेतनमान से अधिक नहीं होंगे किंतु यह बात विशेषज्ञों के मामले में लागू नहीं होगी।
- 15. सोसाइटी के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूलभूत और अनुपूरक नियमावली तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य नियम और आदेश सोसाइटी के कर्मचारियों पर भी लागू हो सकने की सीमा तक लागू होंगे।

इस उपविधि में दी गई व्यवस्था के होते हुए भी, शासी निकाय को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह किसी नियम के अवश्य लागू होने की शर्ते उसके द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक और किन्हीं शर्तों के अधीन छूट दे दें।

### **Recruitment & Promotion of Staff**

11. Recruitment & Promotion, including assessment and merit promotion, in respect of all categories of staff of the Society shall be regulated in accordance with the detailed schemes formulated by Governing Body, CSIR in this behalf.

### Conditions of Services of Officers & Staff of the Society

- 12. The Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, and the Central Civil Services (Conduct) Rules, for the time being in force, shall apply, so far as may be to the officers and establishments in the Service of the Society, subject to the modification that:
  - (a) reference to the "President" & "Government Servant" in the Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, shall be construed as reference to the "President of the Society" and "Officer & Establishment in the service of the Society" respectively; and
  - (b) reference to "Government" & "Govt. Servant" in the Central Civil Service (Conduct) Rules, shall be construed as reference to the "Society" & "Officer & establishments in the service of the Society" respectively.
- 13. Orders made in the name of the President, Vice- president, Director-General and other officers of the Society under the Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules shall be authenticated by the signature of the officer designated for the purpose by the Director-General.
- 14. The scales of pay applicable to all the employees of the Society shall not be in excess of those prescribed by the Govt. of India for similar personnel, save in the case of specialists.
- 15. In regard to all matters concerning service conditions of employees of the Society, the Fundamental and Supplementry Rules framed by the Govt. of India and such other rules and orders issued by the Govt. of India from time to time shall apply to the extent applicable to the employees of the Society.

Notwithstanding anything contained in this Bye-law, the Governing Body shall have the power to relax the requirement of any rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary.

16. सोसाइटी के अधिकारियों की भलाई के लिए शासी निकाय वार्धक्य/सेवानिवृत्ति योजना बना सकती है और उसे जारी रख सकती है।

17. प्रत्येक राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थान में निदेशक के सहायतार्थ प्रशासन नियंत्रक, वित्त एवं लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी तथा भण्डारण एवं क्रय नियंत्रक/भण्डार एवं क्रय अधिकारी होंगे जो निदेशक को सभी प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय मामलों में सलाह देंगे तथा वैज्ञानिक स्टाफ व बेंच (प्रयोगशाला) स्तरीय वैज्ञानिकों को सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। निदेशक को उपर्युक्त पदाधिकारियों की सलाह को न मानने का अधिकार होगा, किन्तु ऐसा वह कारणों को रिकार्ड करने के उपरांत कह कर सकेगा। इस प्रकार के सभी मामलों की रिपोर्ट महानिदेशक, सीएसआईआर को भेजी जाएगी।

# मुख्यालय-प्रयोगशाला

18. सीएसआईआर मुख्यालय और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशक बिना किसी मध्यवर्ती कार्यकर्ता के सीधे तौर पर महानिदेशक के नियंत्रण में कार्य करेंगे। प्रयोगशालाएं, मुख्यालय के नेमी प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण से स्वतंत्र होंगी। इसके साथ-साथ मुख्यालय निम्नांकित मामलों को देखेगा:

- (क) सरकार से निधियों की प्राप्ति तथा वितरण;
- (ख) निदेशक/निदेशक स्तर के वैज्ञानिकों की नियुक्त;
- (ग) राष्ट्रीय मिशन;
- (घ) अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्य अभिकरणीय सहयोग;
- (ड) अनुसंधान फैलोशिप तथा प्रशिक्षण;
- (च) प्रमुख उपयोगकर्त्ताओं तथा सरकारी विभागों के साथ सम्पर्क एवं अंत: क्रिया;
- (छ) सीएसआईआर के कुल अनुसंधान व विकास क्रियाकलापों का आंकड़ा बैंक;
- (ज) निर्माण क्रियाकलाप;
- (झ) लेखा परीक्षा तथा सतर्कता मामले;
- (ञ) शिकायत क्रियाविधि;
- (ट) प्रबन्ध परिषद् तथा निदेशकों के निर्णयों के विरूद्ध अपील;
- (ठ) संसदीय मामले;
- (ड) बजट तथा वित्तः
- (ढ) वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के नियमों के अन्तर्गत लगाई गई सीमाएं;

- 16. The Governing Body may establish and maintain Schemes providing for benefits to employees of the Society on Superannuation/Retirement.
- 17. Director of each National Laboratory/Institute shall be assisted by a Controller of Administration, controller of Finance & Accounts/Finance & Accounts Officer and Controller of Stores & Purchase/Stores & Purchase Officer who shall advise the Director on all administrative and financial matters and be responsible for providing support services to all the Scientific Staff and bench level Scientists. Director shall have the power to over-rule the advice of aforesaid functionaries after recording reasons therefor. A report of such cases shall be sent to Director-General.

### Headquarter-Laboratory

- 18. CSIR Hqrs. and Directors of National Laboratories would operate under direct control of Director-General without any intermediate line functionary. The Laboratory would be freed from routine administrative and financial control of the Hqrs. The head-quarters will, interalia deal with the following matters:
  - (a) Receipt and disbursement of funds from the Government;
  - (b) Appoinment of Director/Director Level Scientist;
  - (c) National Missions;
  - (d) International and Interagency Scientific Collaboration;
  - (e) Research Fellowships and Trainning;
  - (f) Liaison and interaction with major users and Government departments;
  - (g) Data Bank of total CSIR R&D activities;
  - (h) Construction activity;
  - (i) Audit & Vigilance matters;
  - (i) Grievance mechanism;
  - (k) Appellate against the decisions of Management Council and Directors;
  - (1) Parliament matters;
  - (m) Budget and Finance;
  - (n) Limitations imposed under the rules for delegations of Financial power;

- (ण) वित्त मंत्रालय/महालेखाकार तथा लोक लेखा समिति को निधियों का लेखा जोखा देना;
- (त) भर्ती/पदौन्नति नीतियां तथा प्रक्रियाएं;
- (थ) सामान्य संवर्ग;
- (द) कानूनी (विधिक) मामले;
- (ध) पेटेंट मामले; तथा
- (न) महानिदेशक द्वारा निर्णीत अन्य मामले।

# अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

- 19. अनुसूचित जाति/जनजाति के पदों के आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए भारत सरकार के नियम/आदेश सीएसआईआर में भरे जाने वाले पदों की नियुक्ति के संबंध में लागू होने योग्य सीमा तक लागू होंगे।
- 20. इन उप-विधियों में किए जाने वाला कोई भी फेरबदल भारत सरकार के अनुमोदन से किया जाएगा।

- (o) Accounting of funds to the Ministry of Finance/Accountant General and Public Accountant Committee;
- (p) Recruitment/promotion policies and procedures;
- (q) Common cadres;
- (r) Legal matters;
- (s) Patent matters; and
- (t) Other matters as decided by DG.

### **Scheduled Caste/Scheduled Tribe**

- 19. The Government of India Rules/Orders issued from time to time regarding reservation of posts for SC/ST shall apply to the extent applicable in regard to appoinments to posts to be made in CSIR.
- 20. Any alteration in the bye-laws shall be carried out with approval of Government of India.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के नियम और विनियम तथा उपविधियां 1956 के नियम 56 के अंतर्गत, मैं परिषद् के उपाध्यक्ष को परिषद् के अध्यक्ष के रूप में मेरी अपनी सभी या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

> ह. जवाहरलाल नेहरू 22-3-1958 अध्यक्ष वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली

### COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

Under Rule 56 of the Rules and Regulations and Bye-laws of the Council of Scientific and Industrial Research, 1956, I authorise the Vice-President of the Council to exercise all or any of my powers as the President thereof.

Sd/Jawaharlal Nehru
22.3.1958
President
Council of Scientific and
Industrial Research, New Delhi

सं. 5(9)/61-पीसी

रफी मार्ग,

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1964

आषाढ़ 22, 1886

प्रेषक:

सचिव.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

सेवा में

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय: सोसाइटी की ओर से संविदाओं/करारों पर हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर करने के अधिकारों को सौंपने विषयक

महोदय.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की उपविधि 18 की व्यवस्थाओं के अनुसार जिसका संशोधन इस कार्यालय के ज्ञापन सं. 5(9)/61-पीसी तारीख 2.7.64 के द्वारा किया गया था, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष निम्नलिखित अधिकारियों को सोसायटी की ओर से संविदाओं/करारों पर हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करते हैं:

		हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी	प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी
(i)	प्रयोगशाला निर्माण	प्रशासनिक अधिकारी*	प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक/प्रधान
(ii)	कर्मचारियों के लिए निवासगृह और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा सीधे हाथ में लिए गए निर्माण कार्य	इंजीनियर अधिकारी, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंध परिषद् सचिवालय	उपसचिव गान
(iii)	अन्य करार (क) प्रयोगशालाएं/संस्थान	प्रशासनिक अधिकारी* के निदेशक/प्रधान	प्रयोगशाला/संस्थान
	(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् सचिवाल	अवर सचिव य	उपसचिव

### COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

No. 5(9)/61 PC

Rafi Marg New Delhi, the 13th July, 1964 Asadha 22, 1886

From

The Secretary, Council of Scientific & Industrial Research

To

The Directors/Heads of the National Laboratories/Institutes

Subject: Delegation of powers to sign and countersign contracts/agreements on behalf of the Society.

Sir,

In accordance with the provisions of Bye-law 18 of the Council of Scientific & Industrial Research as amended vide this office Memo No. 5(9)/61-PC dated 2.7.1964, the President, Council of Scientific & Industrial Research, has been pleased to authorise the following officers to sign and countersign contracts/agreements on behalf of the Society:-

	Signing Authority	Countersigning Authority
(i) Laboratory Works	*Administrative officer	Director/Head of Lab./Instt.
(ii) Staff Quarters and Works directly taken by CSIR Secretariat	An Engineer Officer CSIR Secretariat	Deputy Secretary
(iii) Other agreements:		
(a) Labs./Instts.	*Administrative Officer	Director/Head of Lab./Instt.
(b) CSIR Secretariat	An under Secretary	Deputy Secretary

 यदि प्रशासनिक अधिकारी न हो तो संविदा/करार पर विषय से संबंधित अधिकारी हस्ताक्षर कर सकता है।

> भवदीय ह. (एल.रामनाथ) अवर सचिव

कृपया वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का पत्र सं. 6(1)66 सीटीई तारीख 8-3-1967 और पत्र सं. 3/4/65 सीटीई तारीख 20-9-1969 भी देखें। \* In the absence of the Administrative Officer the contract/agreement may be signed by the Officer dealing with the subject.

Yours faithfully,

Sd/-Under Secretary

Please also see CSIR letters No. 6(1)/66-CTE dt. 8.3.1967 and No. 3(4)/65 CTE dt. 20.9.1969.

सं. 6(1)/66-सीटीई

रफी मार्ग.

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1967

फाल्गुन 17, 1888

प्रेषक

सचिव,

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के प्रधान

विषय: सोसाइटी की ओर से संविदाओं/करारों पर हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर करने के अधिकार सौंपे जाने विषयक

महोदय,

उर्पयुक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र सं. 5/9/61 पीसी तारीख 13 जुलाई, 1964 के आंशिक संशोधन में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष ने निम्निलिखित अधिकारियों को सोसायटी की ओर से संविदाओं/करारों पर हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया है।

	हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी	प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी
(i) प्रयोगशाला निर्माण	प्रशासनिक अधिकारी	लेखा अधिकारी
(ii) कर्मचारियों के लिए निवासगृह और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा सीधे हाथ में लिए गए निर्माण कार्य	(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, के पत्र सं. 5/9/61 पीसी तारीख 13/7/1964 में लिखें अनुस	

- (iii) अन्य करार
  - (क) प्रयोगशालाएं/संस्थान \*प्रशासनिक अधिकारी लेखा अधिकारी
  - (ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् अनुसंधान परिषद् पत्र सं. सचिवालय 5/9/61 पीसी ता.

13/7/1964 में लिखे अनुसार)

' यदि प्रशासनिक अधिकारी न हो तो संविदा/करार पर विषय से संबंधित अधिकारी हस्ताक्षर कर सकता है।

> भवदीय ह. एल. रामनाथन अवर सचिव

### COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

No. 6(1)/66-CTE

Rafi Marg, New Delhi, the 8th March, 1967 Phalguna 17, 1888

From

The Secretary,

Council of Scientific & Industrial Research

To

The Heads of National Laboratories/Institutes

Subject: Delegation of power to sign and countersign contracts/ agreements on behalf of the Society

Sir,

In partial modification of this office letter No. 5(9)/61-PC dated the 13th July, 1964 on the above subject, I am directed to state that the President, CSIR has been pleased to authorise the following officers to sign and countersign contrarcts/agreements on behalf of the Society:-

(i) Laboratory Works	Signing Authority * Administrative Officer	Countersigning Authority Accounts Officer
(ii) Staff Quarters and works directly taken by CSIR Secretariat	s [As in CSIR Lett No. 5(9)/61-PC dated 13.7.1964]	

(iii) Other agreements:

(a) Labs/Instts. \*Administrative Accounts Officer
Officer
(b) CSIR Secretariat [As in CSIR Letter

No. 5(9)/61- PC dated .13.7.1964]

Yours Faithfully,

Sd/-(L.RAMANATHAN) Under Secretary

<sup>\*</sup> In the absence of the Administrative Officer the contract/agreement may be signed by the Officer dealing with the subject.

सं. 3/4/65-सीटीई

रफी मार्ग, नई दिल्ली, 1 20 सितम्बर, 1969

प्रेषक

सचिव.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

सेवा में,

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के सभी प्रधान

विषय: सोसाइटी की ओर से संविदाओं/करारों पर हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर करने के अधिकार सौंपे जाने विषयक

महोदय.

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र सं. 6/1/66 सीटीई तारीख 8 मार्च, 1967 के विस्तार में, मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि जिस स्थान पर परिषद् का कोई कर्मचारी अपना मकान बनवाए उस स्थान के सबसे समीप स्थित परिषद् की किसी भी प्रयोगशाला/संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी और लेखा अधिकारियों को सोसाइटी अर्थात परिषद् की ओर से कर्मचारियों को मंजूर की गई पेशगी से संबंधित कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए परिषद् के अध्यक्ष ने प्राधिकृत किया है भले ही संबंधित कर्मचारी अन्य किसी प्रयोगशाला/संस्थान में कार्य करता हो। जिन स्थानों पर एक से अधिक प्रयोगशालायें/संस्थान हों वहां पर यह कार्य कार्यरत सोसाइटी अर्थात परिषद् की ओर से उस प्रयोगशाला/संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी, विरष्ठ वित्त लेखा अधिकारी और लेखा अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो गृह-निर्माण स्थल के सबसे निकट स्थित है।

भवदीय, ह. (एल. रामनाथन) अवर सचिव

### COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

No.3(4)/65 - CTE

Rafi Marg, New Delhi 1, the 20th Sept. 1969

From

The Secretary Council of Scientific and Industrial Research

To

All Heads of National Labs./Institutes etc.

Subject: Delegation of power to sign and countersign cotracts/ agreements on behalf of the Society

In amplification of the Office letter No. 6(1)/66-CTE dated the 8th March, 1967 on the above subject, I am directed to state that the President, CSIR has been pleased to authorise the Administrative and Accounts Officers of any Laboratory/Institute of the CSIR, located nearest to the station where any CSIR employee builds a house, to sign legal documents on behalf of the Society (i.e.) the CSIR in respect of House Building Advance sanctioned to him, even though the employee concerned may belong to any other Laboratory/Institute. In case of stations where more than one Laboratory/Institute is located, the Administrative Officer and Accounts Officer of the Laboratory/Institute which is located nearest to the site of the house will act on behalf of the Society (i.e.) the CSIR in this regard.

Yours faithfully,

Sd/-(L.Ramanathan) Under Secretary

सं. 6(1)/86-समिति

रफी मार्ग, नई दिल्ली, 1 24 मई, 1989

प्रेषक

संयुक्त सचिव (प्रशासन), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

सेवा में.

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं के निदेशक/प्रधान

विषय: सोसाइटी (सीएसआईआर) की ओर से दस्तावेजों प्रलेखों पर हस्ताक्षर तथा प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए अधिकारों को सौंपे जाने विषयक

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र संख्या 5/9/61-पीसी दिनांक 13-7-1964 संख्या 6(1)/66 सिमित, दिनांक 8-3-1967 तथा संख्या 3(4)/65 सिमित दिनांक 20-9-1969 तथा सीएसआईआर की उपविधियों की उपविधि 18 के उपबन्धों के अनुसार महानिदेशक, सीएसआईआर ने सीएसआईआर तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निम्नांकित अधिकारियों को सीएसआईआर सोसाइटी की ओर से सभी कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर तथा प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया है:

<ul><li>(i) सीएसआईआर से संबंधित सभी कानूनी दस्तावेज/ करार/संविदाएं</li></ul>	हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी	प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी
(क) राष्ट्रीय प्रयोगशाला/ संस्थान	प्रशासनिक नियंत्रक/ प्रशासनिक अधिकारी	वरिष्ठ वित्त तथा लेखा अधिकारी/वित्त तथा लेखा अधिकारी
(ख) सीएसआईआर सचिवालय	अवर सचिव	उपसचिव
(ii) स्टाफ क्वार्टर्स तथा सीएसआईआर सचिवालय द्वारा सीधे तौर पर लिया गया निर्माण कार्य	अधीक्षक इंजीनियर/ कार्यपालक इंजीनियर	उपसचिव

### COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

No.6/1/86-CTE

Rafi Marg

New Delhi-1, the 24th May, 1989

From

Joint Secretary (Administration), Council of Scientific & Industrial Research

To

The Directors/Heads of all the National Labs./Instts. of CSIR.

Subject: Delegation of powers to sign and countersign the legel documents on behalf of Society (CSIR)

Sir,

In partial modification of this office letters No. 5(9)/61-PC dt. 13.7.1964, No. 6(1)/66-CTE dt. 8.3.1966 and No. 3(4)/65-CTE dt. 20.9.1969, and in accordance with the provisions of Bye-law 18 of the Bye-laws of CSIR, the Director-General, Council of Scientific & Industrial Research has been pleased to authorise the following officers of CSIR and National Laboratories/Institutes to sign and countersign all the legal documents on behalf of the CSIR Society:-

		Signing Authority	Countersigning Authority
1.	All Legal documents/ Agreements/Contracts in respect of CSIR		
	(a) National Labs./Instts.	Controller of Administration/ Administrative Officer GrI.	
	(b) CSIR Sectt.	Under Secretary	Deputy Secretary
2.	Staff Quarters & Works directly taken by CSIR Sectt.	Superintending Engineer/ Executive Engineer	Deputy Secretary

जिस स्थान पर सीएसआईआर का कोई अधिकारी अपना मकान बनवाए उस स्थान के सबसे समीप स्थित परिषद् की किसी भी प्रयोगशाला/संस्थान के प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-1) तथा वरिष्ठ वित्त व लेखा अधिकारी/वित्त व लेखा अधिकारी को सोसायटी अर्थात परिषद् की ओर से उस अधिकारी को मंजूर की गई गृह निर्माण पेशगी से संबंधित कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर तथा प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए सीएसआईआर के महानिदेशक ने प्राधिकृत किया है, भले ही वह अधिकारी अन्य किसी प्रयोगशाला/संस्थान में हो। जिन स्थानों पर एक से अधिक प्रयोगशाला/संस्थान हों वहां पर यह कार्य कार्यरत सोसायटी अर्थात परिषद् की ओर से उस प्रयोगशाला/संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी तथा वरिष्ठ वित्त लेखा अधिकारी, वित्त व लेखा अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो कि गृह निर्माण स्थल के सबसे निकट स्थित हो।

भवदीय ह. (ओ.पी.सैनी) उपसचिव

#### प्रति

- 1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ वित्त व लेखा अधिकारी/वित्त व लेखा अधिकारी।
- 2. सीएसआईआर मुख्यालय/कॉम्प्लेक्स/पेटेंट यूनिट के सभी अधिकारी
- 3. सीएसआईआर मुख्यालय के सभी अनुभाग/प्रभाग

उपसचिव

The DG, CSIR has further been pleased to authorise the Controller of Administration/Administrative Officer (Gr.-I) and Senior Finance & Accounts Officer/ Finance & Accounts Officer of any Laboratory/ Institute of the CSIR located nearest to the station where a CSIR Officer builds a house to sign and counter-sign the legal documents on behalf of the Society (CSIR) in respect of the House Building Advance sanctioned to him, even though the Officer concerned may belong to any other Lab./Instt. In case of a station where more than one Lab./Instt. is located, the Controller of Administration/ Administrative Officer and Sr. Finance & Accounts Officer/Finance & Accounts Officer of the Lab./Instt. which is located nearest to the site of the House will act on behalf of the Society (CSIR) in this regard.

Yours faithfully -Sd-O.P. Saini (Deputy Secretary)

### Copy to:

- 1. Sr. Finance & Accounts Officer/Finance & Accounts Officer of all Labs./Instt.
- 2. All Officers at CSIR Hqrs./Complex/Patent Unit.
- 3. All Sections/Divisions of CSIR at Hqrs.

DEPUTY SECRETARY

सं. 6/1/2001-कमेटी

रफी मार्ग, नई दिल्ली, 1 14 जून, 2001

प्रेषक

उपसचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

सेवा में.

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय: सीएसआईआर की ओर से विधि संबंधी दस्तावेजों/समझौतों/संविदाओं पर हस्ताक्षर एवं प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन महोदय.

मुझे उपर्युक्क विषयक सीएसआईआर के दिनांक 29.3.2001 के पत्र संख्या 6/1/86-कमेटी द्वारा परिचालित सीएसआईआर के अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करने का निदेश हुआ है जिसके अनुसार सीएसआईआर की ओर से निष्पन्न किए जाने वाले सभी विधि संबंधी दस्तावेजों/समझौतों/सविदाओं पर वित्त के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे और उनकी अनुपस्थित में इन दस्तावेजों पर अगले वरिष्ठतम अधिकारी, जो कम से कम वित्त एवं लेखा अधिकारी के पद से कम के न हों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।

तथापि, सीएसआईआर की कुछ प्रयोगशालाओं/संस्थानों से ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रयोगशाला/संस्थान में उक्त प्राधिकृत वित्त अधिकारियों में से सिर्फ एक ही अधिकारी होने पर और उसके छुट्टी या अन्य कारणों से उपलब्ध न होने पर आपातकाल में विरष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी (एसजी) या विरष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी या वित्त एवं लेखा अधिकारी से इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने में आने वाली समस्याओं का उल्लेख किया गया है।

इस मामले पर विचार किया गया और यह सुनिश्चित करने के मद्देनजर कि संबंधित प्रयोगशालाओं/संस्थानों के कार्य में बाधा न आए, महानिदेशक सीएसआईआर ने प्रयोगशालाओं/संस्थानों में सीएसआईआर की ओर से सभी विधि-संबंधी दस्तावेजों, समझौतों, संविदाओं पर उन अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा) द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जा सकते हैं जो विरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी (एसजी)/विरिष्ठ वित्त एवं लेखा

### COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Rafi Marg No.6/1/2001-Cte. New Delhi-1

New Delhi-110001 Dated: 14th June 2001

To

The Directors/Heads of all CSIR Labs/Instts.

Subject: Delegation of Powers to sign and countersign legal documents/Contracts on behalf of CSIR

Sir,

I am directed to refer to the CSIR instructions on the subject cited above circulated vide CSIR letter No. 6/1/86-Cte dated 29/3/2001 according to which all legal documents/agreements/contracts on behalf of CSIR are to be countersigned by seniormost officer from finance side and in his absence these are to be countersigned by the next seniormost officer who should not be below the rank of F&AO.

However, reference have been recieved from some CSIR Labs/Instts. bringing out their difficulty in getting these documents countersigned in case of emergency by Sr. F&AO (SG) or Sr. F&AO or F&AO when only one officer from the aforesaid authorized finance officers is in position in Lab/Instt. and he is not available due to leave or otherwise.

The matter had been considered and with a view to ensure that the functioning of the Labs/Instts. concerned is not hampered, the DG, CSIR has been pleased to approve that in case of Labs/Instts. all legal documents, agreements, contracts on behalf of CSIR can be countersigned by SO (F&A) who is looking after the work of Sr. F&AO (SG)/Sr. F&AO/F&AO during his regular leave only subject to the condition that such countersigning should be vetted by Sr. F&AO (SG)/ Sr. F&AO/ F&AO if so desired by the Director of the concerned Lab./Instt.

अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी के नियमित छुट्टी पर रहने के दौरान उसके कार्यों को निष्पादित करता है बशर्ते कि संबंधित प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक की इच्छानुसार ऐसे प्रतिहस्ताक्षर की वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी (एसजी)/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए।

अनुरोध है कि उपुर्यक्त निर्णय को सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अपनी प्रयोगशाला/संस्थान के सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

> भवदीय ह./-(अमर सिंह) उप सचिव

### प्रति

- 1. सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी
- 2. महानिदेशक, सीएसआईआर के प्रधान निजी सचिव
- 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) के निजी सचिव
- 4. वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर के निजी सचिव
- 5. विधि सलाहकार
- 6. सीएसआईआर मुख्यालय के सभी विभागों/अनुभागों के प्रधान

It is requested that the above decision may kindly be brought to the notices of all concerned in your Lab./Instt. for their information, guidance & necessary action.

> Yours faithfully Sd.-(AMAR SINGH) Deputy Secretary

### Copy to:

- 1. Sr. F&AOs/F&AOs of all CSIR Labs/Instts.
- 2. PPS to DG, CSIR
- 3. PS to DS, Administration
- 4. PS to Financial Advisor, CSIR
- 5. Legal Advisor
- 6. All HODs of CSIR Hdqrs.

परिपत्र क्रम संख्या : 143 सं. 18-6(1)/2002-कमेटी

रफी मार्ग, नई दिल्ली-1 3 जुलाई, 2002

प्रेषक

उपसचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

सेवा में,

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

- विषय: (i) सीएसआईआर की ओर से क्रय से संबंधित संविदाओं/समझौतों और एएमसीज पर हस्ताक्षर करने हेतु भंडार एवं क्रय अधिकारियों (एसपीओज़्) को शक्तियों का प्रत्यायोजन: और
  - (ii) इन समझौतों/संविदाओं/एएमसीज़ पर प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारियों/वित्त एवं लेखा अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''सीएसआईआर के नियमों-विनियमों और उप-विधियों'' के उप-नियम-18 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का उपयोग करते हुए महानिदेशक, सीएसआईआर ने वित्तीय सलाहकार की सहमित से क्रय से संबंधित समझौतों/संविदाओं और एएमसीज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए भंडार एवं क्रय अधिकारी को प्राधिकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया है।

इसके अतिरिक्त महानिदेशक, सीएसआईआर ने यह अनुमोदन भी प्रदान किया है कि पिछले सभी आदेशों को समाप्त करते हुए प्रत्यक्ष रूप से सीएसआईआर द्वारा आरंभ कार्यों सिहत सभी समझौतों और सीएसआईआर मुख्यालय सिहत सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं/संस्थानों में संविदाओं/एएमसी और अन्य विधि संबंधी दस्तावेजों, जिनके लिए प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, पर अब आगे से विरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधि कारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।

ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

### COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Rafi Marg, New Delhi-110001 Dated: 3rd July 2002

No.18-6(1)2002-Cte.

To The Directors/Heads of all the National Labs/Instts.

- Sub: (i) Delegation of powers to SPOs to sign Contracts Agreements and AMCs relating to Purchase on behalf of CSIR; and
  - (ii) Delegation of Powers to Sr. F&AO/F&AO to countersign the Agreements/Contracts/AMCs

Sir.

I am directed to state that in exercise of his powers conferred on him vide Bye-law 18 of 'CSIR Rules Regulations and Bye-laws' the Director General, CSIR with the concurrence of FA. has been pleased to authorize Stores & Purchase Officer to sign Agreements/Contracts and AMCs pertaining to Purchase.

The DG, CSIR has, further, been pleased to approve that in supercession of all pervious orders, all Agreements including works undertaken by the CSIR directly and Contracts/AMCs and other Legal Documents in the CSIR Labs/Instts. including CSIR Hqrs. requiring countersignature with henceforth be countersigned by Sr. F&AO/F&AO.

These orders shall come into force with immediate effect.

अनुरोध है कि कृपया इन आदेशों को सूचना, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अपनी प्रयोगशाला/संस्थान के प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी, विरष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी और भंडार एवं क्रय अधिकारी के ध्यान में लाएं।

भवदीय ह./-(अमर सिंह) उप सचिव

# प्रति

- 1. सीएसआईआर मुख्यालय/प्रधान एचआरडीजी, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के सभी प्रभागों के प्रधान
- 2. सीएसआईआर मुख्यालय में वरिष्ठ उप सिचव (के.का.)/वरिष्ठ उप वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी/सभी उप सिचव/अवर सिचव
- 3. उप सचिव, महानिदेशक प्रकोष्ठ
- 4. अवर सचिव, संयुक्त सचिव (प्रशासन), का कार्यालय
- 5. वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव
- 6. ईएसडी

It is requested that these orders may kindly be brought to the notice of COA/AO, Sr. F&A O/F&AO and SPO of your Lab./Institute for their information, guidance and compliance.

Yours faithfully Sd.-(AMAR SINGH) Dy. Secretary

# Copy to:

- All the Heads of Divns. at CSIR Hdqrs./Head, HRDG, CSIR Complex, New Delhi
- 2. Sr. DS/(CO)/Sr. Dy FA/Sr. F&AOs/F&AOs/All DSs/USs at CSIR Hdqrs.
- 3. DS, DG's Cell
- 4. US, Office of JS (Admin)
- 5. PA to FA
- 6. ESD